खण्ड-100, अंक-3
शुक्रवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1873
(14 मार्च, 1952 ई0)

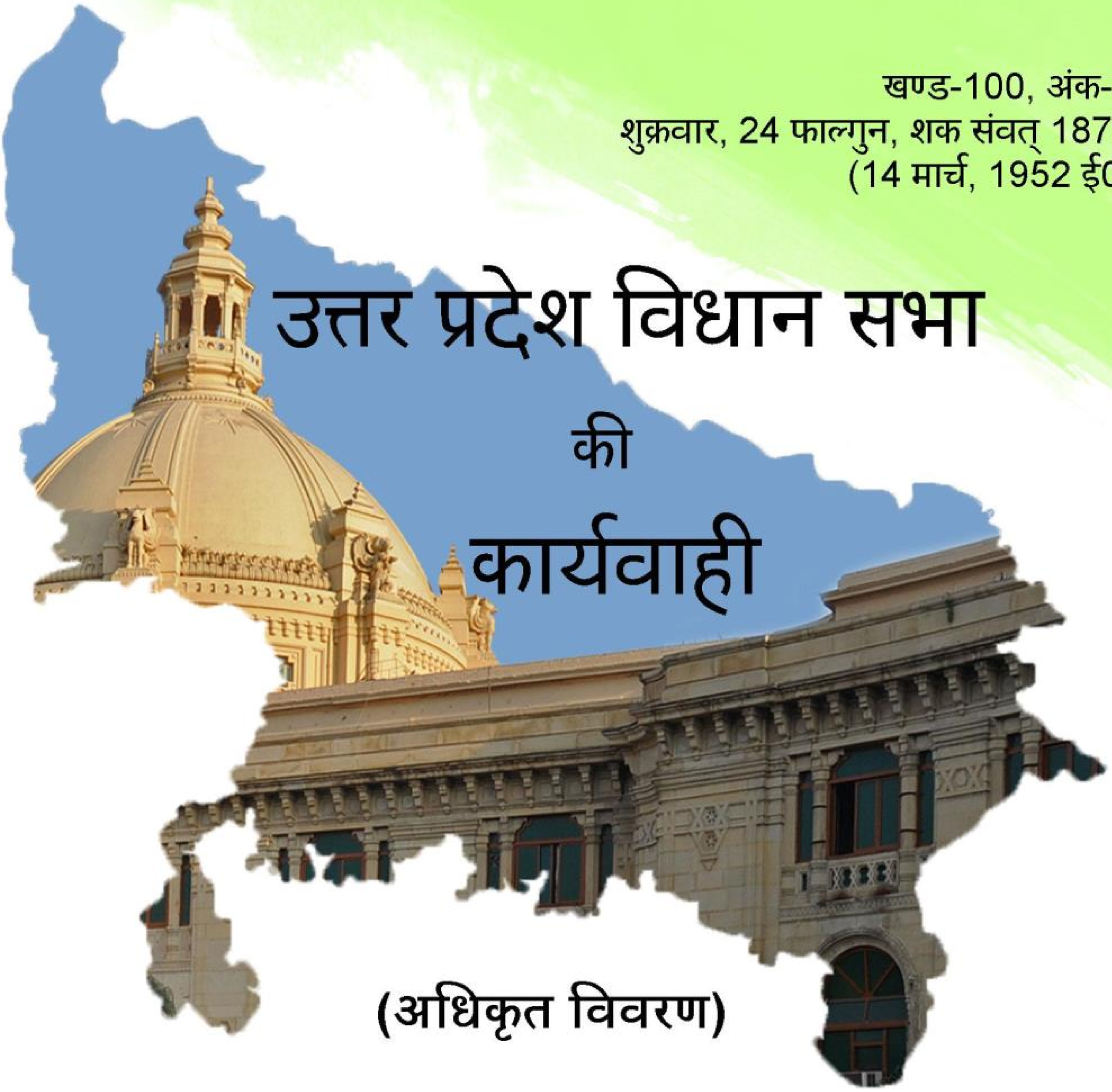

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 100 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१३८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
इर्तिज़ा हुसैन, श्री
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रज़ा खां, श्री
किशन चन्द पुरी, श्री
कुंजविहारी लाल शिवानी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, माननीय श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
ज़ाहिद हसन, श्री
जुगुलकिशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाज़िश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दास, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़खरुल इस्लाम, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री

भगवानदीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुख़्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, नवाब
मुहम्मद रज़ा खाँ, श्री
मुहम्मद रहमत खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद शोएब, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
राजकुंवार सिंह, राव
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामचन्द्र सेहरा, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामधारी पांडे, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रुकनुद्दीन, खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर, श्री
लाल विहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सईद अहमद, श्री
सज्जन देवी मनहोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सैयद ज़ाकिर अली, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हर गोविन्द पंत, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर तथा माननीय श्री हर गोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मई, १९५१ ई०, में बिजनौर कलक्टरी के अवकाश प्राप्त और मुअत्तल कर्मचारी

१–श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या माननीय माल मंत्री कृपया यह बतायगे कि पिछले मई मास में जिलाधीश बिजनौर के तबादले के समय कलक्टरी कचेहरी के कितने कर्मचारी मुअत्तल थे और कितने छुट्टी पर थे ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)—दो कर्मचारी मुअत्तल और पांच छुट्टी पर थे।

२–श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगें कि इन मुअत्तल किये गये कर्मचारियों का अपराध क्या था और क्या जिलाधीश ने उन्हें अपने जाने से पूर्व बहाल कर दिया था ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—एक कर्मचारी मद्यपान, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, काम की खराबी एवं जुआड़ी होने की शिकायत के कारण तथा दूसरा निष्क्रांत-सम्पति के दाखिल-खारिज के वादों में अवैध लाभ के स्वीकार करने के संदेह में मुअत्तल थे। जिलाधीश ने उन्हें अपने जाने से पहिले बहाल कर दिया था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या यह सही है कि जिन लोगों को छुट्टी पर भेजा गया था या जो मुअत्तल हुये थे, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट थीं वह सही नहीं थीं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जो छुट्टी पर थे उनके खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी। वह तो मुख्तलिफ वजूहात पर छुट्टी लिये थे। दो शख्श मुअत्तल थे, एक के खिलाफ़ महज शिकायत थी, कोई बात साबित नहीं हुई और दूसरे के खिलाफ कुछ चार्जेज साबित हुये तो उसको कुछ सजायें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दीं।

३–श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी कितने-कितने दिन की छुट्टी पर गये थे ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४४ पर।)

श्री जहूर अहमद के निधन पर शोकोद्गार

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि हमारी इस सभा के सदस्य श्री जहूर अहमद का इस बीच में देहान्त हो गया। वह बहुत दिनों से हमारी व्यवस्थापिका सभा से ताल्लुक़ रखते थे। पुरानी कौंसिल के भी वे मेम्बर थे और जब इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भी वह उसमें काफ़ी हिस्सा लेते थे। बाद में वे कौंसिल के भी और नई असेम्बली के भी अरसे से मेम्बर रहे और अपने विचारों के मुताबिक देश की सेवा करने की पूरी कोशिश करते रहे। उन्होंने हम लोगों की जब तक वे जीवित थे, हर तरह से मदद की। देश को आगे बढ़ाने में और उसको कामयाब कराने में, जो कुछ उनसे हो सकता था उसे करने में, वे दत्तचित्त रहते थे। कुछ दिनों से वे बीमार चले आते थे और उस बीमारी से तकलीफ़ में होते हुये भी उन्होंने कौंसिल और असेम्बली में जब भी मौक़ा मिला तब हाजिर रहने की और यहां के कामों में हिस्सा लेने की कोशिश की। वे एक बहुत पुराने मेम्बर थे। मुझे अफ़सोस है कि वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस असेम्बली की ओर से उनके कुनबे वालों को मरारी दिली हमदर्दी का इजहार करने की कृपा करें।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री जहूर अहमद जी का नाम मैं इस प्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में बचपन से सुना करता था। इलाहाबाद के मशहूर व मारूफ़ बैरिस्टर होने के अलावा पुरानी लेजिस्लेटिव कौंसिल के भी वे मेम्बर थे और राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी उनकी हमेशा खासी दिलचस्पी रही। पिछले तीन वर्षों से उनका स्वास्थ्य ख़राब था। उनको फ़ालिज की बीमारी हो गई थी। बावजूद इसके वह असेम्बली के अधिवेशन में शरीक होते थे और सदा उनके दिल में यह भावना रहती थी कि जो कुछ उनसे हो सके वे देश की सेवा करें। मुझे इस बात का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि अक्सर उनसे मिलकर बात करूं और सलाह करूं। बावजूद अपने स्वास्थ्य के ख़राब होने के वे हमेशा बहुत खुशी से, जो दिक्कत उनके सामने पेश की जाती थी, उसमें सलाह देते थे। उनके न रहने से इस प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र से पुराने काम करने वालों में से विशेषकर इलाहादाब शहर से एक बड़ा भारी रुक्न उठ गया है जिसका हम सबको दुःख है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी पार्टी तथा इस असेम्बली की ओर सेउनके परिवार को, उनके न रहने पर जो हमको दुःख है, उसकी सूचना भेजने की कृपा करें।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, जो सवाल इस वक़्त हाउस के सामने है वह निहायत ही अफ़सोसनाक और दर्दनाक मजमून का है। जहूर अहमद साहब मेरे क़दीम करमफ़रमां और दोस्त थे और मिस्ल हक़ीक़ी भाई के हम आपस में मिला-जुला करते थे। आज यह मालूम होकर बहुत दुख हुआ कि वे हमारा साथ छोड़ गये। उनकी ख़िदमात इस हाउस के अन्दर ऐसी नहीं हैं जिनको आसानी से भुलाया जा सके। बावजूद इसके कि अरसे दराज़ से वे बीमार थे और चलना-फिरना भी उनका मुश्किल से होता था, वे अपने फ़रायज़ को बहुत दिलचस्पी के साथ अदा करते थे और इलाहाबाद से लखनऊ का सफ़र करते थे और यहां पर शिरकत करते थे। यह जहूर साहब मुल्क के उन सिपाहियों में से थे जिन्होंने आज़ादी की,जंग में एक क़दीम ज़माने से बराबर हिस्सा लिया है और हर उस तहरीक में,जो मुल्क की आज़ादी के लिये, यहां से अंग्रेज़ों को हटाने के लिये की जाती थी, सीनासिपर होकर मौजूद रहते थे। वतन की ख़िदमात में वे हमेशा सब से आगे रहते थे। वह आज हमसे जुदा हो गये यह निहायत अफ़सोस का मुक़ाम है। मैं श्री त्रिलोकी सिंह साहब की राय से बिल्कुल इत्तफ़ाक करता हूं कि जनाब, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से, इन्तहाई ग़म का इज़हार उनके ख़ानदान को इस हाउस की तरफ़ से भेजने की इनायत करें कि इस हाउस की उनके साथ पूरी हमदर्दी है। आप इन ख़्यालात को उनके ख़ानदान के लोगों को भेज दें।

श्री फ़ख़रुल इस्लाम—जनाबवाला, मुझे अभी इस हाउस में यह ख़बर मालूम हुई कि हमारे बुज़ुर्ग शेख जहूर अहमद साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। जनाबवाला को यह मालूम है कि जहूर अहमद साहब की ख़िदमत अरसे दराज से जारी थी और ख़ुसूसियत से नान-कोआपरेशन मूवमेंट की तहरीक जो इस मुल्क के लिये जारी हुई वह उनके ही घर से जारी हुई थी और सब से पहले उनके बंगले पर ही यह तहरीक मंजूर हुई थी। वे लोग जो उस वक्त से सियासी दुनिया में हैं जानते हैं कि श्री जहूर अहमद साहब ही के बंगले से, जो इलाहाबाद में है वह नान-कोआपरेशन की पहली तजवीज़ मंजूर हुई थी। उसके बाद जो कारनामे सियासी तौर पर उन्होंने ख़िलाफ़त और कांग्रेस के सिलसिले में किये वे सबको मालूम हैं और श्री जहूर अहमद उन सब में आगे रहने वालों में थे और उनकी ज़िन्दगी एक सियासी ज़िन्दगी रही। उन्होंने बार-ऐट-ला करने के बाद सिर्फ़ चन्द दिन तक ही प्रैक्टिस की और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताक़त जनता और मुल्क की ख़िदमत करने में लगादी। इलाहाबाद की सियासी बेदारी में अगर दूसरे पूज्य नेताओं का हाथ है तो मैं कह सकता हूं कि उसमें जहूर अहमद साहब का भी बहुत बड़ा और काफ़ी मजबूत हाथ रहा है। उनकी ज़िन्दगी से हम सब यह सबक़ ले सकते हैं कि वे जिस काम में भी लगते थे अपने तन, मन, धन से उसको आख़िरी मंज़िल तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते थे और इसी चीज़ को पूरा करने के लिये

वे अपनी जिन्दगी भर बड़े से बड़े कारनामे पेश करते रहे। मुझे अफसोस है कि वे आज हमारे बीच में नहीं रहे जब कि हमको उनकी सख्त जरूरत थी।

इधर कुछ दिनों से उनकी तबियत ऐसी खराब रही कि वे सियासी कामों में उतनी दिलचस्पी से हिस्सा नहीं ले सके जैसा कि वे चाहते थे। जनाबवाला को मालूम है कि मुझे भी जहां तक सियासत में आगे खींच कर लाने का सवाल है उसमें भी जहूर अहमद साहब का बड़ा हाथ रहा और मैं समझता हूं कि हमारे शहर का एक सियासी रहनुमा और खुद मेरा एक बहुत बड़ा रहबर जिसने मुझे सियासी जिन्दगी में जगह दी, आज नहीं है। जो कुछ आनरेबिल प्रीमियर ने और इधर बैठने वाले दोस्तों ने कहा है उसकी मैं भी ताईद करता हूं और अपनी जानिब से और अपनी पार्टी की जानिब से उनके पसमांदगान के साथ इजहारे अफ़सोस करता हूं।

श्री ई० एम० फ़िलिप्स---श्रीमान् स्पीकर महोदय, सबसे पहले मेरी मुलाक़ात श्री जहूर अहमद साहब से सन् १९२२ ई० में हुई। वह जमाना था जब कि नान-कोआपरेशन बहुत ऊंचे दर्जे पर था और वह मुलाक़ात उनसे एक राय लेने के सिलसिले में हुई और उन्होंने मुझे राय दी लेकिन मैंने उनसे जो फ़ायदा उठाया वह उनकी उस राय से ही उठाया, जो कि वह उस वक्त मुल्क के मुताल्लिक़ रखते थे। मैं मुहकमा पुलिस में उस वक्त था और बहैसियत कोर्ट इंस्पेक्टर के मुझे कोई इग्जीक्यूटिव ड्यूटीज नहीं करना पड़ती थीं और जब कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौक़ा मिला तो मैंने उनको हमेशा देखा कि वे अपनी राय पर सच्चे थे और सदाक़त पर कायम थे। उसके बाद सन् १९२७ ई० में जब मैंने अमरीका जाने का इरादा किया तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम बहैसियत मुलाजिम सरकार के भी खिदमत कर सकते हो और वह इस तरीक़े से कि मिस मेयो की जो किताब निकली है उसकी तरदीद करो। उसके बाद मैं श्रीमती नायडू से फ़ैजाबाद में मिला ताकि और सही वाक़यात मालूम हो जायं। मैंने उनकी राय पर अमल किया था और इंडियन एकेडेमी के जरिये से उसकी तरदीद अमरीका में पेश कराई। उस वक्त मुझे अन्दाजा हुआ कि उन्होंने हर तरीक़े से मुल्क की खिदमत करना चाही थी। इस तरीक़े से वह अपने दोस्तों से भी मुल्क की खिदमत कराना चाहते थे। मुझे उनके ख़यालात से बराबर इत्तिफ़ाक़ रहा क्योंकि वे हमेशा ऐसी बात कहा करते थे कि जिससे मुल्क की तरक्की हो और वह आगे बढ़े। उनके व्यूज़ (विचार) हमेशा मुल्क को आगे बढ़ाने वाले होते थे। अब जबकि मैं और वे दोनों इस असेम्बली के मेम्बर रहे तो वे मेरे कमरे के बराबर रहते थे। तब भी मैं यह देखता था कि उनको यह ख़याल रहता था, प्रोग्राम में भी जो बात आती थी उसका उन्हें यह ख़याल रहता था कि इसमें फ़लानी बात जो आई है वह ऐसी है कि जिससे हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है। इन बातों से न सिर्फ़ यही कि मुल्क को फ़ायदा पहुंचता था बल्कि मुझे खुद को भी फ़ायदा पहुंचा। बहैसियत दोस्त के मैं उनका बड़ा मशकूर और ममनून हूं। बड़ा अफ़सोस है कि वे अब हमारे साथ नहीं हैं। इस रास्ते पर हम सबको जाना है और वे हमसे आगे चले गये। लेकिन मैं यह जानता हूं कि हम उनको इस तरह से याद रखेंगे जिससे कि आयन्दा हम उनके ख़यालात से फ़ायदा भी उठावें और उनकी क़द्र हमारे दिल में हमेशा रहे। मुझे इस बात से बिल्कुल इत्तिफ़ाक़ है कि जो उनके खान्दानवालों को ख़त लिखा जाय उसमें हम लोगों का इजहारे अफ़सोस किया जाय कि हम लोगों को बहुत अफ़सोस है।

श्री राजाराम शास्त्री---अध्यक्ष महोदय, श्री जहूर अहमद साहब की मत्यु के बारे में हम लोग इस समय शोक मना रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भवन के बहुत क़ाबिल-क़ाबिल लोग हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं। मुझे याद है कि श्री जहूर अहमद ने सन् १९२१---२२ में देश के आन्दोलन में भाग लिया था। उसके बाद उनक विचार बदले और जब कभी भी वे इस भवन में बोले तो हमारे और उनके विचारों में भिन्नता भले ही हो लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा, वही कहा जिसको वह सत्य और देश के फ़ायदे के वास्ते समझते थे। वे एक अच्छे देशसेवक थे। राजनीतिक विचारों में अन्तर होना साधारण बात है परन्तु उसके साथ सच्चाई उन्होंने नहीं छोड़ी। जो विभिन्न दलों की ओर से विचारयहां इस समय

[श्री राजाराम शास्त्री]

प्रकट किये गये हैं उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं और मुझे आशा है कि आप हमारे इन विचारों को उनके परिवार वालों के पास अवश्य भेज देंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि उनकी अच्छी बातों की हम क़द्र करें और देश की अच्छी से अच्छी सेवा करें।

माननीय अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे माननीय सदस्यों ने जिन ख़यालात का इज़हार ज़हूर अहमद साहब के मुताल्लिक़ किया है मैं उनकी पूरे तरीके से ताईद करता हूं। ज़हूर अहमद साहेब इस सदन के और इससे पहले कौंसिल के मेम्बर थे और लगातार क़रीब-क़रीब ३२-३४ साल से मेम्बर चले आ रहे थे। उनकी ज़िन्दगी, जैसा कि अभी कहा गया है, मुल्क की आज़ादी के लिये, मुल्क की सेवा के लिये बराबर सर्फ़ हुई। बावजूद इसके कि वह एक लायक़ बैरिस्टर थे, अपने वक्त का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने इस मुल्क की ख़िदमत में सर्फ़ किया। मेरी उनसे जान-पहचान एक काफ़ी अर्से की बात हो गयी मैंने बराबर उनमें वह चीज़ पायी जो कि बुज़ुर्गों में ख़ासतौर से हुआ करती है। वह मेरे साथ किस क़दर शफ़क़त से पेश आते थे यह मैं ही अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं। मुझे उनके न रहने का सख़्त सदमा है। हालांकि उनकी तन्दुरुस्ती पिछले दो-तीन वर्षों से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह हत्तुलइमकान कोशिश करते थे कि जो कुछ हिस्सा इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में ले सकें वह लें। उनका इन्तक़ाल ८ मार्च को उनके मकान मऊआयमा, ज़िला इलाहाबाद में हुआ। मैं, जैसा कि इस आदरणीय सदन ने कहा है, इसके रंज के इज़हार को ज़रूर उनके कुनबेवालों के पास भेज दूंगा।

अब मैं दरख़्वास्त करता हूं कि आप सब दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान ज़ाहिर करने के लिये अपनी-अपनी जगह पर एक मिनट के लिये खड़े हो जायं।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

लोक सभा के लिये निर्वाचित हो जाने के कारण कतिपय सदस्यों के विधान सभा से त्याग-पत्र

माननीय अध्यक्ष— मुझे यह घोषणा करनी है कि जो पहले ८ माननीय सदस्यों ने त्याग-पत्र इस आदरणीय सदन की सदस्यता से दिये थे उनके अतिरिक्त भी १४ त्याग-पत्र और आये हैं। ये सब उसी कारण से हैं कि लोक-सभा के लिये वे लोग चुन लिये गये हैं। उनके नाम ये हैं—

१—श्री सिंहासन सिंह
२—श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर
३—श्री राम शरण
४—श्री सीताराम अष्ठाना
५—श्री लोटन राम
६—श्री अलगू राय शास्त्री
७—श्री बादशाह गुप्त
८—श्री मसुरिया दीन
९—श्री होती लाल अग्रवाल
१०—श्री रघुवीर सहाय
११—श्री कृष्णचन्द्र (मथुरा)
१२—श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
१३—श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल
१४—श्री परागी लाल।

ये सब त्याग-पत्र मुझे ११ तारीख के अन्दर मिल गये।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट की धारा ७५ (३) के अन्तर्गत निर्मित नियम

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट की धारा ७५, उपधारा (३) के अन्तर्गत १९५० ई० के उत्तर प्रदेश निजी जंगल संरक्षण नियम की प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५१–५२ ई० के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं वित्तीय वर्ष सन् १९५१-५२ ई० के (द्वितीय) अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें उपस्थित करता हूं।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० का आय-व्ययक

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—श्रीमान्, मैं १९५२–५३ का बजट पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जैसी कि परम्परा रही है, वित्त मंत्री को बजट पेश करते समय उसकी मुख्य-मुख्य बातों पर और उसमें दी हुई विभिन्न मांगों के प्रयोजनों और उद्देश्यों पर विस्तृत रूप में अपने विचार प्रकट करने चाहिये। लेकिन मेरा काम अपेक्षाकृत कुछ आसान है। इस बजट में, जो कि सदन में पेश किया जा रहा है, कोई एसी बात नहीं है जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। कारण स्पष्ट ही हैं। आम चुनाव शीघ्र ही खत्म हो जायंगे और अगले कुछ हफ्तों के भीतर नये विधान मंडल की स्थापना हो जाने के बाद एक नयी सरकार बन जायगी। इन परिस्थितियों में यह ठीक ही होगा कि नयी सरकार और नये विधान मंडल को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को अंतिम रूप से तय करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था करने का अवसर दिया जाय। इसलिये मौजूदा सरकार को अभी इस मौक़े पर किसी नयी नीति का श्रीगणेश करने अथवा सदन को किसी बड़ी रक़म के अतिरिक्त खर्च के लिये वचनबद्ध करने की जरूरत नहीं है। यह मुनासिब ही है कि अगले वित्तीय वर्ष का असली बजट बनाने का काम नयी सरकार पर छोड़ दिया जाय।

फिर भी संविधान के अधीन कुछ कानूनी पाबंदियों का पूरा करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम १४८ के अनुसार यह आवश्यक है कि किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र को उससे पहले के वित्तीय वर्ष में पेश किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले नये विधान मंडल को न तो पूर्ण रूप से बनाया ही जा सकता है और न उसकी बैठक ही बुलायी जा सकती है। इसलिए इस महीने के खत्म होने के पहले ही सदन के सम्मुख अगले वर्ष का एक अस्थायी बजट पेश करना जरूरी हो गया है। नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद अंतिम बजट के स्वीकृत होने तक कुछ समय अवश्य व्यतीत हो जायगा। यह जरूरी है कि इस अवधि में प्रशासन के लिये आवश्यक धनराशि की स्वीकृति नये वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले ही प्राप्त कर ली

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

जाय। संविधान के अनुच्छद २०६ क अनुसार लखानुदान (Vote on Account) पर विधान मंडल की स्वीकृति मांगने से पहले उस वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र को पेश करना जरूरी ह जिसके लिए स्वीकृति मांगी जा रही हो। इस कारण भी मौजूदा सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह आगामी वर्ष क लिये एक अस्थायी बजट (Provisional budget) सदन के सामने पेश करे। इस काम चलाऊ (caretaker) बजट म प्राप्तियों के तखमीने राजस्व क वतमान साधनों के आधार पर तैयार किये गये हैं और खर्च के तखमीने केवल वतमान सेवाओं के खर्च को पूरा करन के उद्देश्य से व्यय क वतमान स्तर के आधार पर तैयार किये गए हैं। इस अस्थायी बजट म व्यय की नयी मद शामिल नहीं की गयी हैं। यही कारण ह कि परम्परागत विस्तृत बजट भाषण अनावश्यक हो गया है और बजट साहित्य का वह खंड, जिसमें व्यय की नयी मदों के संबंध में टिप्पणियां दी हुई होती हैं, माननीय सदस्यों के सामने पेश नहीं किया गया है। इसम कोई सन्देह नहीं कि नयी सरकार इस अस्थायी बजट म दिये हुए प्रस्तावों का पुनरवलोकन करेगी और यदि चाहेगी तो उसम आवश्यक संशोधन करके नये तखमीने पेश करेगी।

यद्यपि इन परिस्थितियों में बजट म दी हुई किसी भी मद क लिय स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है और मैं अभी अपन राज्य के भावी विकास क बारे में कोई नयी योजनाय पेश नहीं कर सकता हूं। फिर भी सदन शायद यह चाहेगा कि मैं राज्य की वित्तीय स्थिति और तत्संबधी उन कार्यवाहियों का संक्षप में बयान करूं जो मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में, जो कि जल्दी ही खत्म होने जा रहा है, की हैं। १९४६ ई० में पद ग्रहण करने के समय हम एडवाइजरी शासन से एक ऐसे राज्य का काय-भार ग्रहण करना पड़ा जो क़रीब क़रीब पुलिस राज्य था। उस समय हमारे गवर्नर एक अंग्रेज थे और बहुत से प्रमुख प्रशासकीय पदों पर अंग्रेज अफसर नियुक्त थ। शान्ति व व्यवस्था बनाय रखन और नित्य-प्रति के प्रशासन क लिये ही मुख्य तौर पर सरकारी रुपया खर्च किया जा रहा था। यहां तक कि १९३७ और १९३९ ई० के बीच जो थोड़े से विकास संबंधी कार्य हम शुरू कर पाय थ, उनकी भी ऐडवाइजरी शासन म उपक्षा की गयी। विकास विभागों पर बहुत थोड़ा व्यय किया गया। युद्ध काल की निरन्तर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति (inflation) के फलस्वरूप एडवाइजरी शासन न राजस्व म बहुत बचतें कर ली थीं। लेकिन उसने राष्ट्रनिर्माण योजनाओं पर खच करने की आवश्यकता की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यद्यपि राज्य की आर्थिक स्थिति युद्ध कालीन मुद्रा-स्फीति के असर से संभल नहीं पा रही थी और पूंजी जमा होना क़रीब क़रीब रुक गया था, और सभी बातों से स्पष्ट था कि देश के रहन-सहन के स्तर, जो पहले ही बहुत गिरे हुये थे और अधिक गिर जायंगे, फिर भी राज्य इस घटनाचक्र को बदलने के लिये कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए हमारा पहला काम यह था कि हम ऐसी विकास योजनाय तैयार और कार्यान्वित कर, जिनसे इस राज्य के निवासियों की आर्थिक दशा सुधर सके।

इस काम पर होने वाला खर्च बहुत ज्यादा था और इस राज्य की ताक़त क बाहर प्रतीत होता था। परन्तु थोड़ा-थोड़ा करके कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार न कुल लगभग ४६ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया। तदनुसार योजनाय तैयार की गयीं और उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया। स्कूलों, अस्पतालों सड़कों, इमारतों, बांधों, बिजली घरों और सिंचाई के निर्माण-कार्य आरम्भ किए गए। भूमि को खेती योग्य बनाने और उपनिवेश बसाने की योजना तथा कृषि और पशु पालन के सुधार की योजनाओं को अमल में लाया गया। सामाजिक और कृषि संबंधी सुधार की व्यापक कार्यवाहियों को करने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाहियां आरम्भ की गयीं और जनता क कल्याण की विभिन्न योजनायें तैयार की गयीं।

यद्यपि इन योजनाओं पर व्यय यथोचित सावधानी क साथ और एसी परिस्थितियों में किया गया था जो वित्तीय दृष्टि से काफी आशा-प्रद थीं, फिर भी इन योजनाओं के कार्यान्वित

करने में जल्दी ही बड़ी-बड़ी कठिनाइयां सामने आ पड़ीं जिनके लिये हम जिम्मेदार नहीं थे। योजनाओं के आरम्भ किये जाने के बाद ही केन्द्रीय सरकार उस वित्तीय सहायता को बन्द करने के लिये विवश हो गयी, जिसके देने का उसने वचन दिया था। कुछ ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्रों के, जो पहले इस देश के भाग थे, और जहां आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता है, बंटवारे के बाद विदेशी क्षेत्र बन जाने के कारण इस देश में गल्ले की बहुत कमी हो गयी और इससे मुद्रास्फीति की ताक़तों ने जो पहले ही से काम कर रहीं थीं और भी जोर पकड़ लिया। राज्य की वित्तीय स्थिति पर इसका दो तरह का असर पड़ा। सभी प्रकार की सेवाओं के खरचे में बढ़ती हुई। शहरी जनता को अन्न सप्लाई करने और बांटने में करोड़ों रुपये का अनुत्पादक व्यय करना पड़ा। शरणार्थियों के आने से भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर अप्रत्याशित भार पड़ा और शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने में भी काफ़ी अधिक खर्चा करना पड़ा। एक ओर जितने अचानक ढंग से राजस्व व्यय में इस तरह बढ़ती हुई, दूसरी ओर उतने ही अचानक ढंग से पूंजी प्राप्तियां आशा के अनुकूल नहीं हुईं। यद्यपि देश में मुद्रास्फीति अत्यधिक थी फिर भी आमदनी की वितरण व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण पूंजी प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया और सार्वजनिक ऋण न लिये जा सके। सरकार ने स्वभावतः यह आशा की थी कि उसे अपनी पूंजी योजनाओं (Capital Schemes) को वित्तपोषित करने के लिये जितने रुपये की जरूरत होगी उसका अधिकांश हुंडी बाजार (money markets) में मिल जायगा। लेकिन हुआ यह कि जितनी उम्मीद की गयी थी उसका थोड़ा भाग भी प्राप्त न हो सका। इन बातों को देखते हुये सदन को आसानी से यह मालूम हो जायगा कि राज्य की विकास योजनाओं को, जिनकी शुरूआत बड़ी उम्मीदों के साथ हुई थी, बहुत जल्द ही अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा। इस प्रकार यह ज्ञात हो जायगा कि यद्यपि यह राज्य बहुत बातों में स्वशासित है और इसका अपनी नीति पर एक बड़ी हद तक नियंत्रण है फिर भी जिन अप्रत्याशित कारणों से इसकी वित्तीय स्थिति में यह प्रतिकूल परिवर्तन हुआ, वे उसकी नियंत्रण शक्ति के बिलकुल बाहर थे।

इस प्रकार जो स्थिति पैदा हुई उसका सामना करना आसान नहीं था। नये कर लगाये जा सकते हैं या नहीं, इस पर भी विचार किया गया, लेकिन यह महसूस किया गया कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये इससे कुछ वर्गों की तकलीफें बढ़ जायेंगी। १९४८ ई० में बिक्री कर लगाया गया और हमने महसूस किया कि अगर लगातार बढ़ते हुये दामों को रोकना है—और उस समय दामों के बढ़ने को रोकना बहुत महत्वपूर्ण था—तो कम से कम फिलहाल अतिरिक्त कर न लगाने चाहियें। लेकिन साथ ही हम इसके लिये भी तैयार नहीं थे कि विकास योजनाओं में, जिनसे हमें बड़ी आशाएं थीं, काट-छांट की जाय या उन्हें बिलकुल ही खत्म कर दिया जाय। इन हालतों में मुझे यह कहते हुये खुशी होती है कि हमने उस अत्यधिक कठिन समय में न सिर्फ लोगों पर अतिरिक्त कर का भार नहीं डाला, बल्कि वास्तव में विकास कार्य के व्यय में वृद्धि भी की। ऐसा करने में सफलता मिलने का मुख्य कारण यह है कि खरचों में कड़ाई के साथ कमी की गयी और इस प्रकार जो रक़में बचीं, उन्हें विकास योजनाओं के व्यय को पूरा करने में लगाया गया। इस प्रकार संकट पर क़ाबू पा लिया गया और राष्ट्र-निर्माण-कार्यों के लिये जितनी रक़मों की व्यवस्था की गयी थी उनका दिया जाना केवल जारी रखा गया, बल्कि उनमें वास्तव में बढ़ती भी की गयी। मिसाल के तौर पर मैं आपका ध्यान शिक्षा, कृषि और पशु-पालन विभागों के व्यय की ओर दिलाता हूं। शिक्षा विभाग का अनुदान अब लगभग ८ करोड़ रुपया है, जब कि वह १९३६–३७ ई० में २.०६ करोड़ और १९४५–४६ ई० में २.६५ करोड़ रुपया था। कृषि और पशु-पालन विभागों को, जिन्हें १९४५–४६ ई० में ११४ लाख रुपये मिलते थे, अब अपने वायदों को पूरा करने के लिये ४७२ लाख रुपये से अधिक की आवश्यकता है। ऐसी ही पूंजी संबंधी स्थिति भी है। जबकि १९४५–४६ ई० में सिंचाई योजनाओं के पूंजी व्यय के लिये ७८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी अब इसके लिये ३३६ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्क्स (जल विद्युत् निर्माण कार्यों) का पूंजी व्यय ५१ लाख रुपये से बढ़कर ३२९ लाख रुपया

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हो गया है। १९४५–४६ ई० में औद्योगिक विकास के लिये पूंजी की लागत की कोई व्यवस्था नहीं थी। बजट वर्ष में उम्मीद है कि यह २ करोड़ रुपया हो जायेगा। हमारे कार्यकाल में नयी सड़कों और इमारतों के बनाने में राज्य ने २० करोड़ रुपये का राजस्व और पूंजी दोनों ही प्रकार का व्यय किया है। राज्य के कुछ इलाकों में परिवहन (Transport) के राष्ट्रीयकरण और राज्य की बस सर्विसों को संगठित करने में ३ करोड़ रुपये से अधिक लगाया गया। साधारण तौर पर यह सब पूंजी व्यय सार्वजनिक ऋण से पूरा किया जाना चाहिये था, लेकिन उन कारणों से, जिन्हें मैं बता चुका हूं, खुले बाजार से कुल ४.५ करोड़ रुपया ऋण के रूप में मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य को भारत सरकार से जो कुछ भी ऋण मिल सका उसी पर उसको निर्भर रहना पड़ा और बाकी के लिये अपने ही साधनों का सहारा लेना पड़ा।

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि मौजूदा वित्तीय कठिनाई और पूंजी की कमी जैसी बाधाओं के होते हुये भी राष्ट्र-निर्माण संबंधी कार्यों पर यह सब अतिरिक्त व्यय, राज्य की वित्तीय स्थिति को किसी भी प्रकार कमजोर किये बिना ही पूरा किया गया। वास्तव में सावधानी के साथ वित्तीय स्थिति को अच्छी दशा में रखा गया है और वह पहले से अधिक सुदृढ़ हो गयी है। १९४६–४७, १९४७–४८, और १९४८–४९ ई० के अन्त में क्रमशः २.०४ करोड़, १.०५ करोड़ और २.९१ करोड़ रुपये की राजस्व की बचतें हुईं। सिर्फ १९४९–५० ई० में केन्द्रीय राज्य सहायता (central subsidy) में अप्रत्याशित कमी हो जाने के फलस्वरूप २.३१ करोड़ रुपये का घाटा, हुआ जिसके कारण सुरक्षित निधि (Revenue Reserve fund) से रुपया निकालना पड़ा। लेकिन तुरन्त ही खरचे में आवश्यक कमी-बेशी की गयी और १९५०–५१ ई० में फिर कुछ बचत हुई। चालू वित्तीय वर्ष में हाल ही में बाहर से मंगाये गये गल्ले के दाम तेजी से बढ़ जाने के फलस्वरूप अन्न योजना के सिलसिले में जो भारी घाटा उठाना पड़ा उसे पूरा करने के लिये पूंजी में १ करोड़ रुपया मुन्तक़िल करने के बाद भी संशोधित तखमीनों में आय के मुक़ाबिले खर्चा केवल ४१ लाख रु० अधिक हुआ है, और इस राज्य को केन्द्र से अनुदानों की जो रक़में मिलनी बाक़ी हैं, वे अगर वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले मिल जायं, तो मुमकिन है कि व्यय में यह वृद्धि घटकर नाम-मात्र रह जाय या शायद बिलकुल ही न रहे।

अब हम अपनी सार्वजनिक ऋण (public debt) संबंधी नीति पर आते हैं। सदन यह देखेगा कि इस संबंध में भी सरकार सतर्कता की नीति बरतती रही है। सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी राज्य योजनाओं में लगे हुये रुपये पर जो सूद मिल रहा है, वह वस्तुतः उस ब्याज से कुछ अधिक है जो राज्य के सार्वजनिक ऋणों पर देना पड़ता है। इन ऋणों को कम करने या उनसे बचने के संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। जहां कहीं ऋणों के लिये ऋण परिशोध निधियों (sinking funds) का होना अनिवार्य नहीं है, वहां भी सरकार ने ऐसी निधियों (Funds) की व्यवस्था कर दी है, और इन निधियों में पर्याप्त अंशदान दिये जा रहे हैं। मसलन् दो करोड़ रुपये के ऋण के संबंध में, जिसका भुगतान अगले वर्ष होना है, उपयुक्त ऋण परिशोध निधि में वह रक़म जमा की जा चुकी है, जिसका भुगतान करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इन बातों को देखते हुये हम उचित रूप से यह दावा कर सकते हैं कि हमारी राजस्व और व्यय संबंधी नीति का संचालन सुदृढ़ आधार पर किया गया है।

जिन विभिन्न कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा, और देश के बंटवारे के फल स्वरूप जो समस्यायें पैदा हुईं उनके बावजूद राज्य के भौतिक साधनों (Material Resources) को विकसित करने, उत्पादन बढ़ाने, और खाद्यान्न, रुई तथा जूट अधिक पैदा करने के संबंध में हर प्रकार की कोशिश की गयी और सामाजिक सेवाओं (social services) का

प्रसार करने और उनमें सुधार करने तथा अन्य मामलों के संबंध में, जो कि समय समय पर सदन के सामने रखे गये, उचित ध्यान दिया गया। लगभग ११ लाख एकड़ जंगल और परती भूमि तोड़कर कृषि योग्य बनायी गयी है। बहुत से बांध, जलाशय और ट्यूब-वेल तथा सैकड़ों मील लम्बी नहरें, हजारों पक्के कुयें बनाकर सींची न जाने वाली १३ लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था कर दी गयी है। बहुत बड़े परिमाण में उन्नत क़िस्म के बीज और खाद बांटी गयी है। पशु प्रजनन फार्म (Breading farms) और Artificial Insemination Centres (कृत्रिम शुक्राधान केन्द्र) खोले गये हैं। इस राज्य में विद्युत् शक्ति का उत्पादन भी लगभग २६,००० किलोवाट बढ़ा दिया गया है, और तीन और बड़े बिजली घर बनाये जा रहे हैं। एक बड़ी सीमेंट फैक्टरी भी बनायी जा रही है। कुटीर उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, और विभिन्न दस्तकारियों और कुटीर उद्योगों के संबंध में १०० से अधिक शिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों (Tuition-*cum*-production centres) में शिक्षा दी जाती है। यातायात के साधन उन्नत करने के लिये ११३ मील लम्बी सीमेंट कंकरीट की सड़कें, लगभग १,६०० मील लम्बी पक्की नयी सड़कें और ४,५०० मील से भी अधिक लम्बी कच्ची सड़कें बनायी गयीं और २,००० मील से अधिक लम्बी सड़कें फिर से बनायी गयीं। सड़क परिवहन (Transport) का राष्ट्रीयकरण करने और जनता के लिये परिवहन संबंधी अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के विचार से ३ करोड़ से अधिक की लागत पर एक सरकारी रोडवेज संगठन (Organisation) कायम किया गया है।

सभी सेवाओं के मुक़ाबले में सरकार इस समय सब से ज्यादा व्यय शिक्षा पर कर रही है। छात्रों की संख्या बढ़ गयी है और जबकि १९४६ ई० में उनकी संख्या केवल २० लाख से कुछ अधिक थी इस समय उनकी संख्या ३२ लाख से कुछ अधिक हो गयी है। चिकित्सा और जनस्वास्थ्य विभागों का व्यय भी बढ़कर लगभग दूना हो गया है। स्वास्थ्य संबंधी उपायों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के फलस्वरूप महामारी रोगों की भयंकरता भी कम हो गयी है। चिकित्सा संबंधी शिक्षा के लिये सुविधायें बहुत बढ़ा दी गयी हैं।

अगले वर्ष के अस्थायी बजट तखमीनों से, जो वर्तमान कर व्यवस्था और व्यय के वर्तमान स्तर के आधार पर तैयार किये गये हैं, यह पता चलता है कि राजस्व में ४७ लाख रुपये का घाटा होने की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नयी सरकार इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी कि आया बजट में दिखाये गये व्ययों में कमी की जा सकती है अथवा राजस्व के नये साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं। जहां तक पूंजी व्यय का संबंध है, बजट की कुल व्यवस्था मोटे तौर पर उसी स्तर पर की गयी है जिस स्तर पर कि चालू वर्ष में की गयी है। यह व्यवस्था केवल उन निर्माण कार्यों का काम और आगे बढ़ाने या उन्हें पूरा करने के लिये की गयी है जो आरम्भ किये जा चुके हैं। यह स्पष्ट ही है कि ये तखमीने भी नयी सरकार द्वारा संशोधित किये जा सकेंगे। यह बजट इस विचार से तैयार किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू किया जा सकेगा। इसके वित्तीय तथा अन्य प्रकार के अनेक परिणाम होंगे। यह किसान को आर्थिक तथा सामन्ती दासता (feudal bondage) से मुक्त करके और इस प्रकार उसे आत्म सम्मान प्रदान करके और पूर्ण उन्नति का अवसर देकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह और नवजीवन का संचार करेगा।

यह समय असामान्य ही रहा और हमें शहरी इलाक़ों में अन्न की कमी को पूरा करने की एक जरूरी और गम्भीर समस्या भी हल करनी पड़ी। हमें लाखों व्यक्तियों को खिलाने के लिये अन्न सप्लाई करने तथा अन्न बांटने की व्यवस्था करनी पड़ी और इस संबंध में हमें वित्तीय तथा प्रशासकीय भार उठाना पड़ा और अब भी उठाना पड़ रहा है। हम इस भारी अनुत्पादक व्यय से बच सकते तो अच्छा होता। १९४८ ई० में आज़माइश के तौर पर थोड़े समय के लिये अखिल भारतीय नीति के रूप में कंट्रोल उठा लिया गया था, लेकिन इससे

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

परेशानियां इतनी बढ़ गयीं कि कंट्रोल फिर से लागू करना पड़ा। बाहर से मंगाये जाने वाले अनाजों के मूल्यों में हाल ही में जो वृद्धि हुई है और भारत सरकार ने खाद्यान्न के निमित्त दी जाने वाली राज्य सहायता को बन्द करने की जो घोषणा की है उनके फलस्वरूप इस खाद्यान्न सप्लाई योजना के प्रशासकीय व्यय में लगभग ५ या ६ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी है। इस नये अतिरिक्त व्यय के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह वित्तीय भार अब राज्य की सामर्थ्य के बाहर है और इस सम्पूर्ण योजना पर फिर से विचार किया जा रहा है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि भविष्य में क्या होगा। बाजार इस वक्त अस्थिर है और पिछले दो सप्ताहों में कुछ चीजों के दाम काफी गिर गये हैं। इसके कारण इस समय लोगों में जो घबराहट पैदा हो गयी है वह जब तक दूर नहीं हो जाती और मूल्य एक समान स्तर पर नहीं आ जाते उस समय तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर बाढ़ आने, सूखा पड़ने और टिड्डियों के आक्रमण जैसी दैवी आपदाओं के कारण खाद्यान्न समस्या और भी कठिन होती गयी है। इस संबंध में पिछले कुछ वर्ष विशेष रूप से खराब रहे हैं और सरकार को प्रायः हर वर्ष अन्न की कमी को दूर करने के लिये कुछ देहाती क्षेत्रों में भी सहायता देने का प्रबन्ध करना पड़ा। फ़सलों के खराब हो जाने के कारण कुछ भागों में अन्न की अब भी बहुत कमी है। बाढ़ और दुर्भिक्ष सहायता संबंधी आम कार्यवाहियों के अलावा राज सहायता देकर देहाती क्षेत्रों के बड़े जनसमुदाय के हाथ कम दरों पर खाद्यान्न बेचने का भी व्यापक प्रबन्ध करना पड़ा। इस संबंध में जो दिक्कतें उठानी पड़ीं और जो प्रशासकीय प्रयत्न करने पड़े उन के अलावा सरकार का खर्चा भी बहुत बढ़ गया, फलतः अन्य प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कोषों में भी कमी हो गयी।

इन तखमीनों के संबंध में मैं सदन का ध्यान कुछ ऐसी परिस्थितियों की ओर आकृष्ट करूंगा जो राज्य के विकास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है, यद्यपि व्यय के आंकड़े केवल वर्तमान सेवाओं के आधार पर ही तैयार किये गये हैं फिर भी अगले वर्ष के तखमीनों के अनुसार राजस्व में एक छोटे से घाटे का पता चलता है। यदि पंच वर्षीय योजना को, जो कि बड़ी ही सावधानी और दूरदर्शिता के साथ तैयार की गयी है और जिसके कार्यान्वित होने पर इस राज्य का और अन्ततः सारे देश का भविष्य निर्भर है, निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाना है तो यह जरूरी है कि राज्य को और भी अधिक साधन उपलब्ध कराये जायं। मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि आया योजना में जो प्रस्ताव किये गये हैं वे हमारी आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे। अभी तक जो कुछ भी किया जा सका है वह उन परिस्थितियों को देखते हुये, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, असन्तोषप्रद नहीं समझा जा सकता। लेकिन यह उस काम का, जो अभी करना बाकी है, वस्तुतः एक बहुत थोड़ा सा भाग है। हमें अपनी रफ्तार के साथ-साथ शायद अपनी योजनाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा। जन साधारण के खाने, कपड़े और रहने की वर्तमान समस्या को यों ही बहुत दिनों तक नहीं रहने दिया जा सकता और न उसको सुलझाने में ही देर की जा सकती है। हमें बुनियादी तौर पर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और नयी व्यवस्था क़ायम करनी पड़ेगी जिससे कि आज की दुखद और दयनीय हालत में जल्दी ही बहुत काफी सुधार हो जाय। हम इस बात के लिये उत्सुक हैं कि राज्य के सभी संभव साधनों का और हमारे प्रचुर जनवाद का पूरा पूरा उपयोग किया जाय लेकिन आवश्यक योजनाओं को चलाने के लिए कम से कम जितने उपायों और साधनों की जरूरत है उनके मुक़ाबिले में हमारे उपाय और साधन बावजूद हमारी भरसक कोशिशों के कम ही पड़ेंगे। अतिरिक्त कर लगाकर भी राज्य जितना रुपया वसूल कर सकेगा, वह काफी न होगा और मौजूदा सेवाओं के व्यय की साधारण वृद्धि को पूरा करने के लिये भी रुपयों का इन्तजाम करना पड़ेगा। अभी तक हम अधिकांश पूंजी व्यय को अपनी सुरक्षित धनराशियों और अपने ही राज्य के साधनों से पूरा करने में सफल हो सके हैं। हमें सारी वित्तीय स्थिति पर गम्भीरता के साथ फिर से विचार करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक

संबंधों को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हें एक सच्चे लोक कल्याण कारी राज्य (Welfar-estate) के निर्माण और विकास के लिये निरन्तर बढ़ती हुई मांगों को पूरा करना पड़ता है। मुझे पूरी-पूरी आशा है कि संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन हाल ही में नियुक्त फ़ाइनेंस कमीशन वस्तुस्थिति को सही तौर पर समझेगा और इस बात का प्रबन्ध करेगा कि हमारी योजना को तेजी से चलाने में रुपयों की कमी के कारण कोई बाधा न पड़े।

इधर पिछले कुछ दिनों में थोक बाजारों के मूल्यों में जो उल्लेखनीय कमी हुई है उसकी ओर जनता का ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक था। मूल्यों के गिरने के कारण अभी पूरे तौर से स्पष्ट नहीं हुए हैं लेकिन यह काफी निश्चित सा मालूम पड़ता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक की दर में जो वृद्धि की है उसी की कई प्रतिक्रियाएं हुई हैं जिनका आर्थिक स्थिति पर और फलस्वरूप पैदा होने वाली दशाओं पर बहुत असर पड़ा है। कुछ समय से यह सन्देह पैदा हो रहा था कि बैंक क्रेडिट (साख) से अस्वस्थ सट्टेबाजी हो रही है और जो कुछ हम देख रहे हैं उससे इस सन्देह की पुष्टि होती जान पड़ती है। जाहिर है उधार लिए हुए रुपये से सट्टे के कारण जखीरेबाजी काफी बड़े पैमाने पर की जा रही थी और शायद बैंक की दर बढ़ाने के फलस्वरूप क्रेडिट (साख) कम हो जाने से कई जखीरेबाजों को एक साथ नाजायज तौर पर कमाया हुआ धन निकालने के लिये विवश होना पड़ा। स्थिति के इस प्रकार अध्ययन से यह प्रकट होता है कि साधारण पूंजी लगाने वाले किसी व्यक्ति या व्यापारी के घबड़ाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह संकट थोड़े ही समय में समाप्त हो जायगा और आर्थिक व्यवस्था में जो खराबियां आ गयीं थीं उनके दूर हो जाने पर वह और अच्छी होकर फिर अपने साधारण रूप में आजायंगी। मालूम ऐसा होता था कि आर्थिक व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायगी लेकिन वास्तव में यह सब कुछ हद तक उस स्थिति का अवश्यम्भावी परिणाम था जो कुछ समय से तेजी के साथ पैदा हो रही थी। कुछ महीनों से मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं, यद्यपि वे बहुत धीरे-धीरे गिर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिन कारणों से मुद्रास्फीति होती है वे कुछ कम हो गये हैं क्योंकि कोरिया की स्थिति में जैसी कि आशा थी, सुधार हुआ है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्टाक जमा करना कम कर दिया है। देश में साख घट गयी है। बहुत सी उत्पादक योजनायें जो अब तक कार्यान्वित हो रही थीं, अब देश की समृद्धि में योग देने लग गयी हैं। इन सब बातों से लाभ यह हुआ है कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए की गयी विभिन्न कार्यवाहियां अन्त में सफल होती हुई दिखलायी दे रही हैं। इन सब परिस्थितियों के कारण यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि बाजारों में वर्तमान संकट के टल जाने पर मूल्य आम-तौर पर से एक नये निम्न स्तर पर स्थिर हो जायं। ऐसी स्थिति का पैदा होना अत्यन्त आवश्यक है, जिस से वर्तमान दुर्व्यवस्था दूर हो जाय, दृढ़ सन्तुलन फिर से स्थापित हो जाय और उपभोक्ता को चीजें ठीक दामों पर मिलने के साथ-साथ उत्पादक को भी अपने परिश्रम के बदले मुनासिब लाभ हो। कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनकी ओर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे कि गुड़ की क़ीमत का एक दम काफ़ी गिर जाना, और हो सकता है कि अन्त में वे इतनी लाभप्रद साबित न हों। बाजार के मूल्यों में ऐसे उतार-चढ़ाव को रोकना होगा और उससे सजग रहना पड़ेगा जो बहुत से उत्पादकों और किसानों को उनकी जायज आमदनी से वंचित करता है और सट्टेबाज को प्रोत्साहित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चालाक लोगों को ऐसी कार्यवाहियां करने न दिया जायगा जो सिर्फ बहुत से खेतिहरों को उनकी सीमित क्रय शक्ति (Purchasing Power) से वंचित करती हैं और जिनसे साथ ही उपभोक्ता (Consumer) को कोई आराम भी नहीं मिलता है और न रहन-सहन के खर्च में कोई उल्लेखनीय कमी ही होती है। एक लम्बे अरसे तक बाजार में अस्थिरता (Instability) और उदासीनता बने रहने से न केवल बेरोजगारी ही फैलती है बल्कि राज्य की प्राप्तियों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। वास्तव में यह राज्य या उत्पादक या जन-समुदाय किसी के लिये भी हितकर न होगी। असल में जरूरत इस बात की है कि मुद्रा स्फीति (Inflation) तो रुके

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

पर उत्पादन में कोई बाधा न पड़े। लोगों को अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहिये ताकि देश में उत्पादन बढ़े, रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो, समान वितरण हो और उन सब लोगों की, चाहे वे खेत में काम करते हों या कारखाने में, क्रय शक्ति (Purchasing Power) में वृद्धि हो। केन्द्रीय और राज्य सरकार वर्तमान स्थिति का बड़ी सतर्कता क साथ अध्ययन करती रहेंगी। उत्पादन में वृद्धि विशेष रूप से होती दिखायी पड़ती है और यदि ऐसा ही उत्पादन होता रहा तो हम अगले वर्ष के लिये आशायें बांध सकते हैं।

इससे पहले कि अपना भाषण समाप्त करूं, मैं इस अवसर पर सदन के माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता हुं, जिन्होंने हमेशा अपना पूरा सहयोग और समर्थन हमें प्रदान किया है। इस राज्य में विधान मंडल तथा सरकार ने परस्पर बन्धुत्व की भावना से काम किया है जिससे हमारा काम न केवल आसान और सुखप्रद हो गया बल्कि यह बात सार्वजनिक हित में भी थी, क्योंकि ऐसे मामलों पर जो सदन के सामने आये, शान्ति और सद्भावना के वातावरण में विचार-विमर्श किया गया। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य नये विधान मंडल की बैठक के अवसर पर सदन में पुनः उपस्थित न रहेंगे। मेरी शुभ कामनायें सदैव उनके साथ रहेंगी और मुझे यकीन है कि भविष्य में चाहे जो भी उनका कार्यक्षेत्र हो, वे सम्मानपूर्वक और योग्यता से अपना कार्य करते रहेंगे और राज्य के, जिसके प्रति हम सब निष्ठा रखते हैं, हित करने में सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।

मैं वित्त सचिव और उन सभी अफ़सरों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया है और बजट तैयार करने में मदद की है। मैं अनुवाद विभाग और इलाहाबाद तथा लखनऊ के सरकारी छापेखानों के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बजट साहित्य तैयार करने में सहयोग प्रदान किया है।

श्रीमान् जी, मैं १९५२-५३ ई० का आय-व्ययक उपस्थित करता हूं।

चालू वर्ष के अनुपूरक अनुदानों और आगामी वर्ष के आय-व्ययक पर विवादार्थ कार्यक्रम

माननीय अध्यक्ष : सदस्य देखेंगे कि आज एक तो आने वाले वर्ष का आय-व्ययक पेश किया गया है और एक इस चालू वर्ष के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें पेश की गयी हैं। यह तो माननीय सदस्य जानते हैं कि इस पर विचार करने के लिये कितना समय दिया जाय। यह अधिकार मुझको इस आदरणीय सदन ने दे रखा है। जहां तक इस चालू वर्ष के अनुपूरक अनुदानों का संबंध है मैंने इस संबंध में १७ और १८ मार्च दो दिन नियत कर दिये हैं। जैसा कि पहले से होता आया है इस बीच में इन अनुपूरक अनुदानों के संबंध में सामान्य विवाद १७ मार्च के दोपहर तक होगा। उसके बाद मतदान होगा और १८ तारीख को ही विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) ले लिया जायगा।

जहां तक अगले वर्ष के आय-व्ययक का संबंध है माननीय सदस्य यह समझते ही होंगे कि इस वर्ष की स्थिति कुछ भिन्न है। माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें भी उन्होंने बताया है कि चूंकि एक दूसरा हाउस आने वाला है इसलिये हम एक काम चलाऊ बजट पेश कर रहे हैं। मेरे सामने यह प्रश्न था कि इस बजट पर, जो कि पेश किया गया है, आया इस सदन को, जो इस वक्त मौजूद है, बहस करना चाहिये या वही आगे आनेवाला सदन इस पर विचार करे। आने वाली असेम्बली के लिये सभी मेम्बर चुने जा चुके हैं मगर वह हाउस अभी बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारी कौंसिल अभी तक पूरी तरह नहीं बन सकी है। मैंने इस संबंध में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधीदल से भी बात की और उन दोनों साहबान ने इस बात से इत्तफाक़ किया कि जो अगले वर्ष का आय-व्ययक पेश हुआ है उसके ऊपर कोई बहस इस सदन को नहीं करना चाहिये। बल्कि जो वोट आन अकाउण्ट आने वाला है उस पर जो कहना हो कह दें। इसलिये लेखानुदान (Vote on Account)

१७ तारीख को उपस्थित हो जायगा और उस पर विचार करने के लिये मैंने १९ तारीख मुकर्रर कर दी है। चूंकि इस साल एक खास परिस्थिति है इसलिये यह सोचकर कि नये आय व्ययक पर पूरी तरह विचार करने से अगला हाउस वंचित न रह जाय मैंने यह कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूं कि इससे पूरा हाउस सहमत है।

संसद् के अधिनियम द्वारा कृषि संबंधी भूमि पर सम्पत्ति शुल्क लगाये जाने के निमित्त विनियमन के संबंध में संकल्प

माननीय श्री गोविंद वल्लभ पंत—मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं—

"सार्वजनिक हित की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी भूमि पर संपत्ति शुल्क (स्टेट ड्यूटी) लगाने की व्यवस्था करना आवश्यक है और यह एक ऐसा विषय है कि जिसके संबंध में संविधान की ७ वीं अनुसूची की सूची २ की मद ४८ के अधीन केवल राज्य विधान मंडल राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति रखता है,

और यह वांछनीय समझा गया है कि सभी राज्यों में इस संबंध में विधान की समानता हो और तदनुसार संसद् इस राज्य की ओर से विधान बनाये,

और संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनक बारे में संसद् को उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान मंडलों के सब सदनों ने उन संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि संगत होगा।

अतएव उत्तर प्रदेश की विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि कृषि संबंधी भूमि पर संपत्ति शुल्क के लगाये जाने का विनियमन संसद् के अधिनियम द्वारा होवे और संसद् को यह सिफारिश करती है कि इस प्रकार पारित किया गया अधिनियम इस राज्य में भी लागू किया जाय।"

यह तजवीज जो आपके सामने मैंने रखी है इसलिये रखी है कि पार्लियामेंट को यह अख्तियार दिया गया है कि वह सारे मुल्क के अन्दर जहां पर कि खेती की जमीन है या ऐग्रीकल्चर इण्टरेस्ट की बात है उसके बारे में स्टेट (राज्य) ड्यूटी लगा सके। यह स्टेट ड्यूटी लगाने का सवाल बहुत दिनों से चल रहा है और वह स्टेट ड्यूटी शहरों की जायदाद पर और जो खेती की जायदाद है दोनों पर लगा सकती है। मगर इस वक्त जो क़ायदा हमारे कांस्टीट्यूशन में है उसके मुताबिक़ जहां तक शहरों की जायदाद का संबंध है उस के बारे में पार्लियामेंट को अधिकार है और जहां तक ऐग्रीकल्चर जायदाद का ताल्लुक है उस पर हमारे यहां की ग्राम सभाओं को अधिकार है। जहां तक कानून का संबंध है यह मुनासिब होगा कि जो कानून बने वह सारे मुल्क के लिये एक सा हो और हर सूबे के लिये अलग-अलग किस्म का कानून न रहे। और पार्लियामेंट जब इस बारे में भी क़ानून बनावे तो जो हमारे सूबे के एग्रीकल्चरल इण्टरेस्ट की बात है उसके बारे में भी क़ानून बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट को ही है जिससे कि जो क़ानून एग्रीकल्चरल इण्टरेस्ट के बारे में बने वह जैसा और सूबों के लिये बने उसी की बुनियाद पर हमारे लिये भी वहीं से बन जायं। यदि इस ढंग से क़ानून बनेगा तो उसमें कोई खास फ़र्क़ शहरी और देहाती जायदाद या खेती और बिना खेती की जायदाद के बारे में नहीं रहेगा और एक सूबे और दूसरे सूबे के बीच में कोई इस तरह का अन्तर न रहेगा। इसी ख्याल से यह तजवीज़ आप के सामने रखी गयी है।

कुछ सूबों में वहां की असेम्बलियों ने इस तरह के प्रस्ताव पहले मंजूर कर लिये हैं और वही अब यहां लाया गया है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

आगे जो पार्लियामेंट बनेगी वह इस तरह का मसविदा जो पेश होगा उस पर गौर कर सके क्योंकि अब इस पार्लियामेंट की बैठक खत्म हो चुकी है और क्योंकि यह मसला पहले से चला आ रहा है इसलिये बजाय इसके कि इसे बाद में रखा जाता और चूंकि इस पर कार्यवाही होना जरूरी था इसलिये जरूरी समझा गया कि मसविदा असेम्बली के सामने रखा जाय। फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि बजाय इसके कि हम यहां इसको बनावें हम पार्लियामेंट को यह अख्तियार देते हैं कि वह हमारे सूबे के लिये क़ानून बनावे और तमाम मुल्क के हालात को सामने रखते हुये वह इस पर गौर करे। हम अपने यहां के क़ानून बना सकते हैं और अगर सदन चाहे तो यहां के लिये यह असेम्बली क़ानून बना सकती है मगर हम सिर्फ इस सूबे के नुक़ते निगाह से ही अगर क़ानून बनाते हैं तो वह दायरा बहुत तंग होगा और अगर पार्लियामेंट बनावेगी तो उसके सामने बहुत वसीअ दायरा होगा और पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि भी मौजूद हैं

हमारी स्टेट के ८६ हाउस आफ़ प्यूपिलमें और क़रीब ३१ के कौंसिल आफ़ स्टेट में प्रतिनिधि रहेंगे और वे सब हमारे सूबे की बातों पर गौर करेंगे और जिस तरीके से हम अपनी राय यहां दे सकते हैं वैसे ही वे वहां अपनी राय दे सकेंगे। मालूम नहीं कब मसविदा तैयार हो और कब क़ानून बने, लेकिन वह फिर सब के सामने आयेगा। अगर यहां की असेम्बली और कौंसिल चाहे कि उस पर वाद विवाद करे तो उसे मौका रहेगा और अपनी राय का इजहार कर सकेगी। मगर इस वक्त तो हम सिर्फ पार्लियामेंट को अख्तियार देते हैं कि वह हमारे सूबे के लिये और मुल्क के लिये क़ानून बनावे जिस से एक यूनिफ़ार्मिटी (एकरूपता) रहे और देश के भिन्न-भिन्न अंगों में अलग-अलग किस्म के क़ानून न बनें। इससे कोई हमारा नुक़सान नहीं होता और मैं समझता हूं कि यह सब को पसन्द होगा। इस तरह का क़ानून सारे देश के लिये फ़ायदेमन्द होगा। जो बातें इस तरह की सारे देश से संबंध रखने वाली होती हैं अगर यह हाउस चाहे तो इसमें जो विधान के आर्टिकिल का जिक्र किया गया है उसके मुताबिक़ बाज़ी बातों में पार्लियामेंट को हम अधिकार दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ एक तरतीबी तजवीज है और इसे हाउस पसन्द करेगा।

नवाब मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाब वाला, यह तजवीज जो मुख्य मंत्री जी हाउस के सामने पेश की है वह मेरे लिये और गालिबन इस तरफ के सब बैठने वालों के लिये बिलकुल नई चीज है, जिस पर इससे पहले कभी गौर नहीं किया गया है। मेरे लिये बड़ी मुश्किल है इस स्टेज पर इसके फार या अगेन्स्ट (पक्ष या विपक्ष में) इजहार राय करूं। एग्रीकल्चरल रिफार्म या जमींदारी अबालीशन के मसलों पर गौर करते वक़्त इस बात का ख़याल रखना चाहिये कि हर सूबे के हालात मुख़्तलिफ़ हैं। हर सूबे के मामले और जराअती चीजें एक दूसरे से बिलकुल जुदा हुआ करती हैं। लिहाजा हर सूबे के वाक़यात को अलहदा अलहदा सोचना होगा और उसके मुताबिक़ अमल करना होगा। इस हाउस को यह हक़ हासिल है कि जो भी रेजोल्यूशन (संकल्प) चाहे यहां पेश कराके उसे पास करा ले मगर मेरी सिर्फ यही गुजारिश कि हर बात के तमाम हालात को पेशेनजर रखते हुये सोच विचार कर कोई फैसला करना चाहिये। इस बात के लिये कि पार्लियामेंट को यह हाउस ऐसा अख्तियार दे इसके लिये और मुख़ालिफ़त में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं जनाबवाला के जरिये आनरेबिल मुख्य मंत्री साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस चीज को नये हाउस के लिये छोड़ दें क्योंकि यह हाउस तो अब थोड़े दिनों बाद खत्म होने वाला ही है और यह मसला बहुत अहमियत रखता है। इस तरह क़ाफी वक्त मिलने के बाद यह मसला तय अच्छी तरह से किया जा सकता है और इसे इंटेलीजेंटली (समझदारी) रखा जा सकता है। तभी इनके ऊपर ठीक तौर से इजहारे ख्याल किया जा सकता है। यह एक उसूली मामला है और इसके अन्दर जो उसूल आते हैं वह इतने अहम हैं कि उनको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। अगर मेरी यह बात नहीं मानी जाती है तो फिर मैं जनाब के तवस्सुत से यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर कुछ दिनों

के लिये इसे मुल्तवी कर दें तो ज्यादा अच्छा हो और कुछ दिनों के बाद इस मसले को पेश किया जाय। इस अरसे में इस तरफ के बैठने वाले इस पर गौर कर लेंगे और तभी वे इस क़ाबिल हो सकेंगे कि सही तरीके से डिबेट में हिस्सा ले सकें।

मनानीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मुझे किसी बात में कोई उज़्र नहीं है। एक चीज़ थी जो मैंने इस हाउस के सामने रख दी है। चूंकि यह मामला हमारे सामने था, इसलिए इसे हाउस के सामने रख देना मुनासिब समझा गया। अगर हाउस इस पर बहस करना चाहे तो करे, वरना पोस्टपोन (स्थगित) कर दे। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर हाउस चाहे तो आगे के लिए छोड़ दे। एक मौक़ा हाउस को दिया है। वह चाहे तो इसे २० तारीख तक के लिए स्थगित कर दे, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—तो यह २० तारीख के लिये स्थगित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

इस विधेयक का मतलब बिलकुल साफ है और पहले भी यह आर्डिनेंस के रूप में छपा था। इसकी प्रतियां रख दी गई हैं। इसमें सिर्फ इस ख़्याल से कि शायद कहीं कोई बहस हो कि जो लोग नामजद किये गये हैं या जो मेम्बर होना चाहियें और चूंकि जो ऐक्ट था उसमें ये अल्फ़ाज़ नहीं थे कि इस इलेक्शन के लिए भी डिसक्वालीफ़ीकेशन (अनर्हता) नहीं रहेंगी, इसलिए यह विधेयक ज़रूरी हुआ। इस ख़्याल से कि इलेक्शन में कोई ऐसा उज्र न कर दे कि वह नम्बरदार था लिहाज़ा वह नहीं हो सकता या कोई और ऐसी ही बातें न उठाई जावें, इसलिए यह आर्डिनेंस बनाया गया था और वह अब क़ानून बनाने के लिए सामने रखा गया है। यह सब के लिए एक मुफ़ीद चीज़ थी। मैं समझता हूं कि इस पर किसी को मतभेद नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—इसमें किसी संशोधन की सूचना नहीं है। यदि किसी को आपत्ति न हो तो मैं इसकी तमाम धाराओं पर एक साथ राय ले लूं।

(सदन की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

धाराएं १—४

१—(१) इस अधिनियम का नाम, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५२ ई०, होगा। — संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

(२) यह समस्त उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा।

(३) यह २४ नवम्बर, १९५१ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

२—एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों के कारण उन पर अध्यासीन व्यक्तियों के लिये अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगी : — राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए अनर्हता की उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने का निवारण।

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी या बोर्ड के, जिनके अन्तर्गत किसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा संघटित या स्थापित कोई कमेटी या बोर्ड हैं, चेयरमैन, या सदस्य का पद जो ऐसी अवधि के लिए अध्यासित रहा हो, जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो;

यू० पी० ऐक्ट संख्या १,१९०१।

(ख) यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ४५ में उल्लिखित लम्बरदार का पद,

(ग) कुमायूं डिवीजन में पधान, सरगरोह और मालगुजार, देहरादून जिले के जौनसार बावर परगने में गांव सियाना या खात सियाना तथा कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित मिर्जापुर जिले के भाग में सुपरदार के पद।

इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद उठने वाले प्रश्नों का अवधारण।

३---इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद यदि किसी पद के राज्य सरकार के अधीन लाभप्रद पद होने के विषय में प्रश्न उठे तो वह इस प्रकार अवधारित किया जायगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी अपेक्षित (मेटीरियल) दिनांकों पर प्रचलित थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४,१९५१ ई० का निवर्तन।

४---उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अध्यादेश १९५१ ई० एतद् द्वारा निवर्तित (रिपील) किया जाता है और यू० पी० जेनेरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबंध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा अधिनियम (ऐक्ट) रहा हो जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट से निवर्तित किया गया था।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि धारा १, धारा २, धारा ३ और धारा ४ इस विधेयक का अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

यह आवश्यक है कि कुछ लाभप्रद पदों के सम्बन्ध में यह घोषित किया जाय कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्व-शासन मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

इस विधेयक में दो या तीन बातें साधारण सी हैं। अभी पंचायतों क चुनाव के लिए तीन वर्ष हो चुके और उसकी मियाद खत्म हो गई। लेकिन चूंकि आम चुनाव असेम्बली के अभी आने वाले थे इसलिए आर्डिनेंस निकाल कर उसकी मियाद बढ़ा दी गयी। म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया इत्यादि सब के चुनाव इस वर्ष में आने वाले हैं। तो इस विधेयक द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिक से अधिक दो वर्ष तक मियाद बढ़ा सकती है। दूसरे सेक्रेटरियों की तनख्वाह के बारे में जो दिक्कतें आती थीं उनके दूर करने के लिए कुछ सुधार इसमें जोड़ दिये गये हैं। इसके अलावा इस विधेयक में अधिक कुछ नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री—मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन विधेयकों पर विचार करने का मौजूदा तरीक़ा मुनासिब नहीं है। मेरी राय यह है कि जिस दिन किसी विधेयक पर यहां पर विचार हुआ करे, अगर एक दिन पहले हमको नोटिस मिल जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। पंचायत-राज (संशोधन) विधेयक पर विचार होने जा रहा है। हमको बिल की कापी मिल गयी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज वह विधेयक हमारे सामने नहीं है। या हम लोग जितने काग़ज असेम्बली से मिलते हैं उन सब को रोज बांध कर लाया करें या हम अन्दाज लगायें कि आज फलां बिल पर विचार होने वाला है। मैं यह चाहता हूं कि जो और आवश्यक काम हो उसको आप कर लें और इसके लिए सरकार कल तक का मौक़ा दे ताकि हम लोग उसे देख सकें। अगर इसके लिये गवर्नमेंट तैयार न हो तो इस वक्त जो बात कहनी है वह कही जा सकती है, लेकिन यह तरीका अच्छा नहीं मालूम होता। माननीय मंत्री जी ने बिल तो पेश किया, लेकिन यह नहीं बताया कि जो सुधार किये गये हैं वे कौन कौन से हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि सेक्रेटरियों को तनख्वाह मिलने में दिक्कत होती थी उसकी वजह से सुधार किये हैं। अगर माननीय मंत्री इसको भी एक्सप्लेन (स्पष्ट) कर दें कि क्या सुधार किये हैं तो शायद कुछ कहा जा सके।

माननीय अध्यक्ष—विधेयक तो ७ तारीख को उपस्थित हो गया था और उसी दिन इसकी प्रतियां दे दी गयीं थीं।

श्री राजाराम शास्त्री—मेरी शिकायत यह नहीं है। हमको हाउस में बहुत सा लिट्रेचर (साहित्य) दे दिया गया है, लेकिन यह नहीं मालूम कि आज किसके ऊपर विचार होगा। इसके माने यह हैं कि सारी की सारी चीज हम लोग रोज लावें और इस अंदाज में बैठे रहें कि मालूम नहीं किस वक्त किस पर विचार हो जाय। अगर ऐसा कह दिया जाय कि फलां रोज फलां बिल पर विचार होगा तो हम उसी को पढ़ कर आया करें। आज यह मालूम नहीं था कि इस बिल पर विचार होगा। कम से कम माननीय मंत्री जी उसको एक्सप्लेन (स्पष्ट) ही कर दें।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—मैं उसका स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। मैं समझता था कि शायद यह बिल भवन के सदस्यों के सामने मौजूद हो। इसलिए विस्तार में जिक्र नहीं किया। जहां तक मियाद बढ़ाने की बात है, उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि अधिक से अधिक दो साल तक मियाद बढ़ाने का अधिकार है।

दूसरे, सेक्रेटरियों के विषय में मैंने जो कहा कि जो दिक्कतें उनकी तनख्वाह देने में आती हैं उनका निराकरण इसमें है। पिछली बार इस ऐक्ट में यह सुधार हो गया था कि तीन-चार गांव-सभायें मिल कर एक मंत्री की नियुक्ति करें और उसका क़ायदा भी बना दिया गया था। तो मंत्री को वेतन देने में तीन-चार गांव-सभाओं को हिस्सा देना पड़ता है, जैसे ४० रुपया तनख्वाह

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

है तो १०-१० रुपये चार गांव-सभाओं को देना है । अब दो गांव-सभायें दे देती हैं और जो कहती हैं कि नहीं देंगे और रुपया होते हुये भी नहीं देतीं तो यह अधिकार दिया गया है कि जो विशेष अधिकारी सरकार नियुक्त करती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वह पंचायत के फंड में से रुपया लेकर यह तनख्वाह दे सकते हैं । यह अधिकार दिया गया है और कुछ नहीं । अगर उसके फंड में रुपया होगा तो दे दिया जायगा नहीं तो सरकार जैसे मदद करती है वैसे करेगी। कोई विशेष अधिकार नहीं लिया गया कि उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाय या और कुछ कर दिया जाय । अगर कोई सभा रुपया होते हुये भी नहीं देती है तो यह अधिकार दिया गया है कि उसके फंड से दे दिया जाय ताकि वक्त पर वेतन मिल सके ।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री ने जो पंचायत-राज (संशोधन) विधेयक पेश किया है और जो बयान उन्होंने दिया है कि क्यों उनको संशोधन करना पड़ा उसके संबंध में मुझे कुछ कहना है और वह यह है कि पंचायत-राज का यह विधेयक हमने इस दृष्टि से पास किया था कि देहात के रहने वाले लोग इस बात को महसूस कर सकें कि अपने ग्राम का प्रबन्ध वह अपने हाथ से कर रहे हैं । वे स्वयं उसके मालिक हैं, इसलिये उनमें प्रजातंत्र की भावना पैदा हो सके और वह यह महसूस करें कि अपने भाग्य के विधाता हम हैं । मैं यह महसूस कर रहा हूं कि यह अधिनियम काफी अच्छा है, इसने प्रजातंत्र की बुनियाद डाली है लेकिन जिस तरीके से यह कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस ध्येय को लेकर यह विधेयक बना था वह पूरा नहीं हो रहा है । ग्रामीण जनता आज यह महसूस कर रही है कि जिस तरह आज सरकार की तरफ से और बहुत से कायदे क़ानून उसके ऊपर लादे गये हैं उसी तरीके से एक नई चीज यह भी सिर पर आ गयी है जो राहत देने के बजाय उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। गांव में अगर गवर्नमेंट ने पहले से यह प्रबंध किया होता कि किस तरीके से यह क़ानून लागू किया जायगा तब तो कोई बात नहीं थी । नये टैक्सेज अगर न लगाने पड़े होते तब तो जनता ऐसा महसूस करती कि कुछ इससे फायदा हुआ । लेकिन जब से यह क़ानून लागू हुआ है तब से ग्राम-सभाओं ने, ग्राम-पंचायतों ने जिस तरीके से नये-नये टैक्सेज देहात की जनता पर लगाये हैं उससे यह क़ानून देहात में दिनों दिन बदनाम होता जाता है ।

अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कई-कई महीनों की तनख्वाहें मन्त्री लोगों को नहीं मिल पातीं । आप अनुमान कर सकते हैं कि आजकल के इस मंहगाई के जमाने में जिन मंत्रियों को कई कई महीने तक वेतन नहीं मिलता होगा वह किस तरह से अपना गुजारा चलाते होंगे । साथ ही इस कानून में यह भी प्राविजन हो गया कि ग्राम पचायतें चाहें तो अपना खर्चा चलाने के लिए नये टैक्स लगा सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर ग्राम पंचायतों को अपनी स्थिति को कायम रखना है तो उनके लिए लाजमी है कि वे नये नये टैक्स लगायें। हमारा खयाल यह है कि जब तक उनको ये नये नये टैक्स लगाने पड़ेंगे और उसी कोष से उनको मंत्रियों की तनख्वाहों का भुगतान करना पड़ेगा तब तक आपका यह क़ानून सफल नहीं हो सकता है । मेरा आप से यह कहना है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से ग्रामीण जनता से लगान वसूल करती है और उस लगान को लेकर वह अपने डिपार्टमेंटों को चलाती है, उनका संचालन करती है और उस रुपये में से लोगों को तनख्वाहें देती है और प्रत्येक डिपार्टमेंट का काम सुचारु रूप से चालू करती है, इसी तरीके से जब देहात से लगान वसूल होता है, गवर्नमेंट जो वहां से अपनी आमदनी करती है उसी का एक भाग ग्राम पंचायतों के लिए छोड़ दिया जाय और हम लोगों का सुझाव यह है कि कम से कम अगर आप चाहते हैं कि ग्रामों की उन्नति हो और वहां की जनता इस बात को समझ सके कि अपना पैसा हम ही खर्च करेंगे गांव के फायदे के लिए, तो कम से कम एक चौथाई जो आमदनी देहात से होती है उसका एक चौथाई ग्राम पंचायतों के अधिकार में दे दिया जाय और उनको यह अधिकार दिया जाय कि गांव की उन्नति के लिये वह जैसा मुनासिब समझें

खर्चा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं कि ग्राम पंचायतें लगातार नये नये टैक्स लगाती जायंगी ग्रामीण जनता उससे लाभ नहीं उठा पायेगी। अगर कभी भवन के सामने माननीय मंत्री यह पेश करें कि ग्राम पंचायत कैसे नये नये टैक्स लगाती हैं तो आपको आश्चर्य होगा शायद उन बातों के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा कि कैसे कैसे टैक्स लगाये जाते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आपने ग्राम पंचायतों को आजकल जो अख्तियार दे रखा है कि अगर मंत्रियों की तनख़्वाह अदा करनी है तो तुम नये नये टैक्सेज़ लगाओ, तो आप समझ सकते हैं कि उस सेक्रेटरी की यह कोशिश होती होगी कि अगर हमें अपनी तनख़्वाह वसूल करनी है तो नये नये टैक्सेज़ लगाये जायं जिससे हमको तनख़्वाह मिल सके। इसलिए बहुत से टैक्सेज़ ऐसे लगा दिये जाते हैं कि जिनसे जनता को बहुत परेशानी होती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क़ानून तो यह है कि ग्राम सभायें जिस टैक्स को मंजूर करें वही टैक्स वसूल किया जाना चाहिये। यह आम शिकायत देहातों में है कि ग्राम सभाओं की आम मीटिंगों में ये नये नये टैक्स पेश नहीं किये जाते। उनकी राय नहीं ली जाती कि तुम यह टैक्स पास करना चाहते हो या नहीं। ग्राम पंचायतों के थोड़े से लोग आपस में बैठ करके सेक्रेटरी महोदय की मदद से नये टैक्सेज़ का एलान कर दिया करते हैं और उसके बाद ग्रामीण जनता को मजबूर किया जाता है कि नये कानून के मुताबिक तुमको यह टैक्स अदा करना पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र का यह बुनियादी उसूल है कि अगर आप जनता से कर वसूल करते हैं तो वह कर जनता द्वारा ही पास किया जाना चाहिए। अगर ग्रामीण जनता द्वारा कोई टैक्स पास नहीं करवाया गया तो उसका वसूल करने का अधिकार गवर्नमेंट को और पंचायत को नहीं हो सकता। इसलिए इसको लाजिमी कर दिया जाय कि ग्राम सभाओं से उस टैक्स को मंजूर करा लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो टैक्सों की वसूलयाबी, अभी देहातों के अन्दर, इस ग्राम पंचायत ऐक्ट के मुताबिक होने जा रही है या हो रही है अगर उन टैक्सों को ग्राम सभाओं के अन्दर पास कराया जाय तो उनमें से अधिकांश टैक्स ऐसे होंगे, जिनको ग्राम सभाएं अस्वीकार कर देंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्राम सभाओं की मीटिंग नहीं की जातीं। एक कमरे में बैठ कर दो चार आदमी बिना किसी इत्तिला के उनके ऊपर टैक्स लाद देते हैं और फिर हुकूमत की ताकत के जोर से उन टैक्सों को उसूल करते हैं और मंत्रियों के वेतन को अदा करने की कोशिश करते हैं। मेरा खयाल यह है कि अगर किसी कानून के मुताबिक यह नियम बना दिया जाय कि जितने माननीय मंत्रीगण यहां पर बैठे हुये हैं उन को तनख़्वाह तभी दी जायगी जब यह अपने विभाग से उतनी बचत कर दें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मंत्री महोदय अपनी तनख़्वाह निकालने के लिए अपने विभाग के कितने ही कर्मचारियों को निकाल देंगे या नये नये टैक्स अपने विभाग से लागू कराने की कोशिश करेंगे। हर तरह से बचत करने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी तनख़्वाह वसूल करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों और पंचायत के सेक्रेटरियों को मजबूर न किया जाय कि वे अपनी तनख़्वाह निकालने के लिये जनता पर नये नये टैक्स लगाएं।

इस मौके पर मैं बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं और पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो नये टैक्स लगाये हैं देहातों में, ग्राम सभाओं के बीच में वे नहीं रखे गये हैं। हमको पता लगा है कि अब नये नये उपनियम बना दिये गये हैं और उनमें उन को पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वे जाकर टैक्स को वसूल करें। यही तो मैं भी दलील दे रहा हूं कि इस ऐक्ट के मुताबिक ग्राम सभाओं को ही टैक्स लगाने का अधिकार है। वही टैक्स लगा सकती हैं लेकिन ग्राम सभाओं से स्वीकृति नहीं ली जाती है। मेरा यह कहना है कि आज गांवों की जनता यह चाहती है कि बिना गांव सभा के बुलाये हुये जो टैक्स उनके ऊपर लगाये जा रहे हैं उनको देने के लिए आज ग्रामीण जनता तैयार नहीं है। और मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और दूसरे मंत्री महोदय इस बात को अच्छी तरह से महसूस करें कि अगर ऐसे टैक्सों को देहातों की जनता से वसूल किया गया और देहात की जनता ने उनको देने से इनकार किया और देहात के अन्दर सरकारी मुलाज़िमान और ग्रामीण जनता

[श्री राजाराम शास्त्री]

के अन्दर किसी तरह का संघर्ष हुआ, किसी तरह की बदअमनी हुई, किसी तरह का असंतोष फैला तो उस का पूर्ण उत्तरदायित्व इस हुकूमत पर और गलत तरीके से जनता को दबाने की चेष्टा करने वालों पर होगा। मैं यह बात केवल इसलिये कहता हूं कि जहां कहीं मुझे जाने का मौका मिला है मुझ से लोगों ने शिकायत की है कि किस आधार पर नये नये टैक्स लगाये जा रहे हैं। यह बताया गया है कि कुर्क अमीन लोग देहातों में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनता से उन टैक्सों को भी वसूल करें जिन को ग्राम सभाओं ने नहीं भी पास किया है। मैं जानता हूं कि गांव की जनता जब इस तरह के गैर क़ानूनी टैक्सों को देने से इनकार करेगी तो यह हुकूमत उस मौके पर एक ही नारा बुलंद करेगी कि समाजवादी चूंकि उनकी हार हुई है इसलिए बदअमनी पैदा करने की कोशिश करते हैं यह वस्तुस्थिति पर पर्दा डालने के बराबर होगी।

मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी देहाती जनता की भावना की है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से, जिस तरह की भावना ले कर आप अपने सेक्रेटरियों को तनख्वाह देने के लिए या अपने दूसरे कामों को करने के लिए देहाती जनता से एक जबरदस्ती के जरिये से जिन टैक्सों को वसूल करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि, एक प्रान्त व्यापी ढंग से ग्रामीण जनता इसका विरोध करेगी और उसकी वजह से हमारे प्रान्त में बदअमनी और अशान्ति पैदा होगी। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि तनख्वाह सेक्रेटरियों को वक्त पर मिलनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं और समझता हूं कि अगर उनको तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलेगी तो वह सुचारु रूप से काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर ग्राम पंचायतों के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर उनकी माली हालत अच्छी होगी तो उनको तनख्वाह दी जा सकेगी और अगर उनकी माली हालत अच्छी नहीं होगी और वह तनख्वाह नहीं दे सकेंगी और आप भी तनख्वाह नहीं दे सकेंगे तो ग्रामीण जनता की यह हालत नहीं होगी कि वह नये नये टैक्सेज अदा कर के तनख्वाह दे सके तो परिणाम यह होगा कि सेक्रेटरियों में भी असंतोष होगा और जनता में भी असंतोष होगा। इसलिए अन्ततोगत्वा इसका नतीजा यह होगा कि संघर्ष होगा। सब से अच्छा तो यह है कि जो धनराशि वसूल होती है उसका एक बड़ा अंश ग्राम पंचायतों के लिए छोड़ दिया जाय। यह एक बहुत ही अच्छा कानून है। अगर अच्छे ढंग से इसको काम में लाया जाय तो प्रजातंत्र की बुनियादें देहात में मजबूत हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस तरह से और बहुत सी चीजें हुकूमत की तरफ से जनता पर लादी जाती हैं उसी तरह से यह कानून भी लादा हुआ माना जायगा।

मुझे बड़े अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि शुरू-शुरू में हमने जो यह क़ानून बनाया था उसके अधिकार, सारी सत्ता धीरे धीरे हुकूमत संशोधन द्वारा अपने हाथों में खींच रही है और जनता से अधिकार लेती चली जा रही है और कुछ दिनों के बाद यह नौबत आने वाली है कि यह क़ानून सरकार के हाथ में एक हथियार बन कर रहेगा। जिस उद्देश्य से यह क़ानून बनाया गया था वह बरकरार रहना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे कि इस कानून का दुरुपयोग न हो। आपकी ओर से हिदायतें जानी चाहिये कि प्रत्येक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जायें और वही टैक्सेज पास करें। मुझे पता लगा है कि सन् १९५० ई० तक के टैक्सेज अभी तक वसूल नहीं हुये हैं। अब आप उनको वसूल करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका खयाल रखेंगे और इस तरह से क़ानून को लागू करेंगे जिससे ग्रामीण जनता में इसके खिलाफ कोई भावना न हो।

राजा बीरेन्द्र शाह—माननीय स्पीकर महोदय, मुझे दुख के साथ इस संशोधन के, जो सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज का पेश किया है, विरोध में खड़ा होना पड़ा है। अभी मेरे मित्र श्री राजा राम जी ने बहुत सी बातें इसके विरोध में कही हैं। मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं। मैं अवश्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस पंचायत राज ऐक्ट

को लाते वक्त सरकार ने जितनी धूमधाम के साथ इसकी तारीफ की थी कि हम ऐसी चीज लाये हैं कि जिससे हमारी ग्रामीण जनता को और आम जनता को बड़ा भारी लाभ होगा। लेकिन आप इसके विपरीत जा रहे हैं। आप उनको एक तरीके से जाल में फंसा रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने हुकूमत की उसी तरह से आप भी करें लोगों को लम्बी लम्बी बातें बतला कर उनसे रुपया वसूल करके उनके लिए हित की बात कहना कहां तक उचित होगा ?

मैंने देखा है कि सरकार के कई विभाग हैं और उन सब विभागों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का प्रबंध सरकार स्वयं बजट में पेश करती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इधर तो आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ने उनके हित में यह बिल पेश किया है.....

माननीय अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य की तवज्जह इधर दिलाना चाहता हूं कि पूरे पंचायत राज ऐक्ट के विरोध में बोलने का यह मौका नहीं है बल्कि जो संशोधन लाया गया है उसी पर अपने भाषण को सीमित रखें।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमान्, "उद्देश्य और कारण" में जो लिखा हुआ है कि इस विधेयक में यह भी अधिकार प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे पंचायतों को गांव-पंचायत के सेक्रेटरी का वेतन, भत्ते और दूसरी अदायगियां गांव सभा फंड में से देने के लिये आदेश किया जा सके, मैं इसका विरोध करता हूं। यह चीज पहले नहीं थी, अब यह नई चीज रखी जा रही है। यह अनुचित है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। यह भार अगर सरकार ग्राम पंचायतों पर न डाल कर सप्लीमेंटरी डिमांड्स में रखती तो मुनासिब होता।

मुझे इससे विरोध नहीं कि सेक्रेटरीज को वेतन समय पर दिया जाय, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें तो आप उनको खड़ा होने का मौका दीजिये। लेकिन आप उल्टे उन पर बोझा लादते रहे हैं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकतीं। जब जब ग्राम पंचायतें खड़े होने लायक होती हैं तब तब आप उन पर बोझा लाद देते हैं। हमारे मंत्री जी तो ग्राम-पंचायतों की दशा अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन मालूम नहीं क्यों केबिनट में अपनी सरकार से यह जोरों के साथ नहीं कहते कि अगर आप ग्राम पंचायतों और ग्रामीण भाइयों का उत्थान चाहते हैं तो ऐसी चीज कीजिये जिससे कि उनका उत्साह बढ़े, न कि उनका उत्साह घटे और उनको मजबूर हो कर आपका आश्रय लेना पड़े। मैं चाहता हूं कि गांव के लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें और उनको सरकार का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े। यह वेतन का भार जो लादा जा रहा है इस सम्बन्ध में मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि उस गांव की जितनी कुल आमदनी होगी उसका ज्यादा हिस्सा वेतन ही में चला जायगा। सेक्रेटरी साहब क्या काम करते हैं यह अभी न बतला कर जब बजट का मौका होगा तब बतलाऊंगा कि वह बिल्कुल फिजूल साबित हुये हैं। मैं तो यही मुनासिब समझता हूं कि जिस तरह से हमारे सभापति आनरेरी वर्क (अवैतनिक) कार्य करते हैं उसी तरह से आप यह निकाल दीजिये कि सेक्रेटरीज भी आनरेरी वर्क (अवैतनिक) कार्य करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और फिर सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप गांवों की दशा सुधारना चाहते हैं तो यह जो नये नये प्रकार के टैक्सेज, जबकि आप पहले पहल जीत कर आये हैं, न लगाइये जिससे आपके प्रति लोगों में असंतोष पैदा हो और लोग यह सोचें कि उन्होंने आप को वोट दिया, उसी का यह नतीजा है।

श्री खूब सिंह—अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से जो संशोधन पंचायत राज ऐक्ट में पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसकी मुखालिफत में जो दो स्पीचेज अभी इस भवन में हुई हैं उनको सुनकर ऐसा मालूम होता है कि संशोधन की स्पिरिट (भावना) को वह बिल्कुल समझ नहीं पाये हैं। राजा साहब का कहना है कि उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकली जाती है। उन्हें खुद कुछ करने का मौका

[श्री खूब सिंह]

नहीं दिया जाता। शास्त्री जी फरमातें हैं कि वह यह तो चाहतें है कि सेक्रेटरीज को समय पर तनख्वाहें दी जायं लेकिन कलेक्टर के जरिये से पंचायतों से रुपया ले कर सेक्रटरीज को तनख्वाह देने का जो सवाल है इसको यह सदन को तै न करना चाहिये, बल्कि उन पंचायतों से पहले पूछ लेना चाहिये। मुझे तो इस बात में कोई तत्व दखाई नहीं देता। सवाल तो यह है कि पंचायतों के पास रुपया होता भी है फिर भी वह अपने सेक्रेटरीज को रुपया नहीं देतीं। कलेक्टर के जरिये से अगर उनको तनख्वाह दी जायगी तो इसमें शास्त्री जी को कोई आपत्ति तो नहीं है, यह भी उनसे पूछ लिया जाय।

इस काम के लिये अगर रुपया ले लिया जाता है तो इसमें शास्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। अगर कोई ऐसा सवाल इस हाउस के सामने होता कि कोई नया टैक्स लगाया जाता तब तो उन लोगों से पूछने का सवाल पैदा हो सकता था या कोई नई पोस्ट क्रियेट (पैदा) करने का सवाल होता तो उनकी रजामन्दी लेने की जरूरत हो सकती थी। लेकिन जब आपने एक आदमी को वहां काम करने के लिये नियुक्त किया है तो उसका पेट भरने के लिये कोई इन्तजाम करना निहायत जरूरी है और तभी उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। उसी हालत में वह अच्छी तरह से काम कर सकता है। अगर उसको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है और आप उससे जबरदस्ती काम लेते हैं तो वह काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता है। यह तो महज समझने की बात है।

मेरा ख्याल यह है कि अगर सेक्रेटरी से सही काम लेना है तो उसका पेट भरने के लिये कम से कम उसकी तनख्वाह वक्त पर देना निहायत लाजिमी है और मैं यह समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हमने गांव पंचायत को और उसके सरपंच को अधिकार दिये हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि वह अपने कर्तव्य को समझें कि उसको क्या करना है। वह अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करे। आप जानते हैं कि वहां पर सरपंच वगैरह की मदद के लिये सेक्रेटरी रखा जाता है ताकि वह सही तरीके से काम चला सके और उनकी मदद करता रहे। बहुत जगहों पर बिला पढ़े-लिखे लोग भी आ गये हैं। उनकी मदद के वास्ते भी इन सेक्रेटरियों की जरूरत होती है, ताकि वह थोड़ा बहुत अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। अगर आपने वहां पर उन सब की मदद के लिये कोई आदमी मुकर्रर किया है, कोई सेक्रेटरी मुकर्रर किया है तो उसको तनख्वाह जरूर मिलनी चाहिये। जो संशोधन इस वक्त इस कानून में पेश किया गया है वह निहायत सुन्दर है। सेक्रेटरी के रहने या न रहने का सवाल इस वक्त पैदा नहीं होता है। जब यह सवाल सामने आयेगा तब यह बहस हो सकती है कि वहां पर आनरेरी (अवैतनिक) सेक्रेटरी हो या पेड (सवेतन) हो। जब आप पेड सेक्रटरी मुकर्रर कर चुके हैं तो उसको तनख्वाह मिलना आवश्यक है। और उसके प्रबन्ध के लिये यह संशोधन पेश किया गया है। मैं पूरे तरीके से इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गजाधर प्रसाद—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हाउस के सामने पेश है मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। जहां तक ग्राम-पंचायत के सेक्रेटरी की तनख्वाह का प्रश्न है वह तो उसी तरह का प्रश्न है जैसा कि सरकार, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के सेक्रटरी का प्रश्न है। जिस तरह से सरकार उनकी तनख्वाह अपने खजाने से देती है उसी तरह से उनकी तनख्वाह भी सरकार को अपने खजाने से देनी चाहिये। आम जनता की ऐसी हालत नहीं है कि वह टैक्स से रुपया इकट्ठा करके उसकी तनख्वाह के लिये दे सके। आजकल बहुत सी पंचायतों की हालत बहुत दर्दनाक और खराब है। आप जानते हैं कि इस साल सूखा पड़ जाने से लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है और लोग बहुत परेशान हैं।

गांवों में तरह तरह की पार्टियां गरीब लोगों की हैं। एक पार्टी के आदमी पर दूसरी पार्टी के आदमी ज्यादा टैक्स लगा देते हैं और अपनी पार्टी के लोगों पर कम। तो इस तरह से टैक्स लगाकर सेक्रेटरियों की तनख्वाह देने का जो काम है उससे गांवों में बड़ी गड़बड़ी होगी और काफी परेशानी बढ़ेगी। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार कोई स्थायी प्रबन्ध इसके लिये करे। गांवों में बहुत से पढ़े-लिखे लोग होते हैं वह आज भी मौजूद हैं उनसे आनरेरी सेक्रेटरी का काम लिया जाया करे। गांवों में ऐसे लोग पढ़े-लिखे इंट्रेंस तक के बहुत से मिल सकते हैं, जो इस काम को आनरेरी कर सकते हैं और हफ्ते में घंटा दो घंटा दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी काम पड़ता है और इस तरह से उनसे काम लिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें वेतन की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से किया गया तो बहुत सी आफतें होंगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो लगान वसूल होता है जिसके बल पर सरकार चलती है उससे उनका कोई स्थायी प्रबन्ध करे। इस तरह से टैक्स लगाने से गांवों का उत्थान नहीं हो सकता। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू (मालगुजारी) सरकार वसूल करती है उसी में से सेक्रेटरियों का वेतन दिया जाय। गांवों में टैक्स लगाने से सेक्रेटरियों की तनख्वाह वसूल नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में एक तरह की बौखलाहट पैदा होगी और वहां टैक्स वसूल नहीं हो सकता। सरकारी कर्मचारी वहां वसूल करने जायेंगे, जनता देना नहीं चाहेगी तो जनता पर जुल्म होगा, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से उनकी कुर्की होगी, उनके गाय-बैल-भैंस बिकेंगे तरह तरह की आफतें आयेंगी। तो मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसा प्रबन्ध करे जिससे सरकार के खजाने से सेक्रेटरियों की तनख्वाह दी जाय और मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैंने जो यह विधेयक और उसके बाद उसका यह संशोधन पेश किया उसके सम्बन्ध में बिला समझे कि जो कानून पंचायत राज ऐक्ट है उसमें क्या अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं और उसके ऊपर कैसे अमल हो रहा है इसका विचार बगैर किये हुये एक बहस उठा दी गई और मैं समझता हूं कि यह थोड़ा सा चुनाव के परिणाम के कारण है। देहातों में प्रचार करके जनता को उभाड़ने का प्रयत्न किया गया और उसमें जब नाकामयाबी हुई तो भवन में एक अन्तिम डोज देने का प्रयत्न किया गया और यहां भी एक प्रचार सा खड़ा कर दिया गया। इस संशोधन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में बहस हो। जहां तक यह कहा जाता है कि पंचायतों को टैक्स लगाना चाहिये या न चाहिये या पंचायतें बगैर पूछे हुये टैक्स लगा देती हैं उसके लिये तो मैंने स्पष्टीकरण कर दिया कि गांव सभा को ही अधिकार है कि इस ऐक्ट को लाये और जब गांव सभा में प्रस्ताव पास होता है तब ही टैक्स लगता है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई हिदायत टैक्स लगाने की नहीं दी कि तुम फलां टैक्स लगाओ। सरकार ने तो यह कहा है कि टैक्स लगाने का उसको अधिकार है, बल्कि एकआध शिकायतें इस किस्म की आईं कि गांव सभा ने बिला पूछे हुये ही टैक्स लगाया तो हमने कहा कि गांव सभा में पास होना चाहिये तभी टैक्स लगाया जा सकता है। तो जो शिकायत राजाराम जी को है कि बगैर गांव सभा के पास किये हुये टैक्स लगा दिया जाता है वह ठीक नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी निगाह में अगर कोई चीज ऐसी आवेगी तो उसकी छान-बीन भी की जायगी और गांव सभा के सामने वह प्रश्न रखा जायगा।

जहां तक टैक्स लगाने की बात है, पंचायतों को सिर्फ वसूल करने का अधिकार है और यह अधिकार इस सदन ही ने उनको दिया था और राजाराम शास्त्री भी खुशी से उसमें शामिल थे, जब और टैक्स का यह अधिकार पंचायतों को दिया गया था। वसूल करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है और वह टैक्स वसूल करती हैं और अब कानून में यह भी दिया गया है कि हर एक चार-पांच गांव सभाओं को एक सेक्रेटरी रखना चाहिये।

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

मैं राजा राम जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे वह कहते हैं उस तरह से तो बोझ और बढ़ेगा, बोझ घटेगा नहीं। भवन की इच्छा के अनुसार यह पास हुआ कि हर एक गांव सभा को एक सेक्रेटरी रखना चाहिये लेकिन सवाल यह है कि गांव सभा उसकी तनख्वाह दे भी सकती है या नहीं ? अगर वह देखें तो उनको मालूम होगा कि इस तरह से तो बोझ बहुत घट गया, बढ़ा नहीं है। हमने देखा कि इतना रुपया गांव सभा नहीं दे सकती इसलिये चार-पांच गांव सभाओं के बीच में एक सेक्रेटरी रखने की बात रखी है ताकि एक सभा पर बजाय ५० रुपये के दस रुपये ही खर्च पड़े। तो यह सुझाव तो बोझ हलका ही करता है। अब यह बोझ चार-पांच सभा आसानी से मिलकर उठा सकती हैं। अब अगर ३ गांव सभायें अपना हिस्सा तनख्वाह का देती हैं और एक नहीं देती तो इस कानून के मुताबिक गवर्नमेंट को अखित्यार होगा कि कोई भी कड़ी कार्यवाही सरकार कर सकती है, यह अखित्यार आज मौजूद है। सरकार चाहे तो गांव सभा को ही बरखास्त कर सकती है। जिस तरह से अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी अपने फरायज अदा नहीं करती तो सरकार को अखित्यार है कि वह हुक्म दे कि वह अपने फरायज अदा करे, लेकिन अगर कुछ मियाद के बाद फिर भी वह अपने फरायज अदा नहीं करती है तो वह काम कर लिया जाता है और उसका खर्च म्यूनिसिपैलिटी से कराया जाता है और उसको बरखास्त करने का अखित्यार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी ढंग का कानून यह है कि अगर गांव सभा अपनी तनख्वाह का हिस्सा नहीं देती तो उसको मियाद दी जाय और अगर फिर भी वह नहीं देती है तो उसके फंड से रुपया काटकर दिया जायगा। यह जरासा सुझाव इसीलिये है ताकि सख्त कार्यवाही न करनी पड़े। हमें अख्तियार है कि हम किसी भी गांव सभा को बरखास्त कर दें और नया चुनाव करा लें, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो सभा का जो रुपया जमा है उसमें से काटकर रुपया दे दिया जाय, यही अख्तियार इसमें लिया जा रहा है। हम पंचायतों के अधिकारों को किसी तरह से कम नहीं कर रहे हैं बल्कि पंचायतों पर जो सख्ती हो सकती है उसको हम कम करना चाहते हैं, यही इसका उसूल है। यह कोई नये टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है और मैं समझता हूं कि राजा राम शास्त्री जी यह जानकर कि इस से तनख्वाह देने में सहूलियत होगी अपने विरोध को वापिस ले लेंगे।

श्री गजाधर प्रसाद जी ने कहा कि सरकार जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटीज में करती है उसी तरह से तनख्वाह सेक्रेटरी को दिया करे। उन्होंने शायद नहीं समझा। यह बात नहीं है कि सरकार अपने बजट से वक्त पर म्यूनिसिपैलिटी वालों को तनख्वाह देती है वहां भी म्यूनिस्पैलिटी अपने फंड से तनख्वाह देती है और टैक्स लगाकर दिया करती है। इसी तरह से पंचायतें टैक्स लगाकर अपने सेक्रेटरीज को तनख्वाह देती हैं। पहले हर एक के लिये सेक्रटरी रखना जरूरी था, अब हम ४ पर एक सेक्रटरी कर रहे हैं। इस तरह से उनका बोझा हमने कम किया है और जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटी अपने फंड में से रुपया देती है उसी तरह से पंचायतें भी देंगी।

जहां तक पंचायतों की हालत के बारे में कहा गया है कि उनकी हालत ऐसी है कि वे इतना वसूल कर सकती हैं, मैं इस बात से हमदर्दी रखता हूं और मैं समझता हूं कि जब सरकार अगले सदन में पंचायतों के बारे में कोई प्रस्ताव लायेगी तब उस समय सारे टैक्सेशन के ऊपर फिर से विचार करने का ख्याल रखा जायगा। और जिस तरह से उचित समझा जायगा उनकी हालत दुरुस्त करने का प्रयत्न किया जायगा। इस बीच में जो प्रयोग हमने किये हैं उनके करने में हमें जो अड़चनें मालूम हुईं उनका फायदा उठाने का हमने प्रयत्न किया है। आपके द्वारा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस साल हमने १२ लाख रुपया देकर उनका काम पूरा किया और पारसाल भी १४ लाख दिया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट

मैजिस्ट्रेट को यह अखित्यार होगा कि वह किसी भी पंचायत से उसका हिस्सा दिला सके तो ऐसी हालत में जहां ३ पंचायतों के काम को फायदा होता है अगर एक के साथ जरा सी सख्ती भी हो गई तो कोई हर्ज नहीं है और अन्त में उसका भी इससे लाभ है। मैं समझता हूं कि जो एतराज़ात माननीय सदस्यों ने नाजानकारी के कारण किये हैं वे उन्हें अब असलियत को समझ कर वापस ले लेंगे और सदन इसे स्वीकार करेगा।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--इसमें भी कोई संशोधन की सूचना नहीं है। अगर किसी को आपत्ति न हो तो मैं सब का सब एक ही प्रश्न के जरिये ले लूं?

श्री राजाराम शास्त्री--यदि एक-एक करके धाराएं हमारे सामने आवेंगी तो उनमें किसी पर हमें जो कहना होगा हम कह सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष--ठीक है, तो मैं एक-एक करके लेता हूं।

खंड २

२--यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे इसमें आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्त म फुलस्टाप निकाल कर निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"and make such incidental and consequential orders as may be necessary for effecting the change.".

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३--मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (३) में शब्द "their term of office shall be three years". के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(3) their term of office shall be three years from the date of their respective election or if the State Government so declares by notification in the *Gazette* such longer term, not exceeding five years, as may be specified.

और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3-A) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(3-A) The declaration under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(3) The term of office of a member of a *Gaon Panchayat* other than President or Vice President or a member chosen to fill a casual vacancy shall

be three years or if the State Government so declares by notification in the *Gazette*, such longer term not exceeding five years, as may be specified."

और तत्पश्चात निम्नलिखित उपधारा (3-A) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(3-A) The declaration under sub-section (3) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंश बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५

५---मूल अधिनियम की धारा (25-A) की उपधारा (१) में शब्द "subject to such directions" के बाद 'कामा' रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"including directions regarding payment from *Gaon Sabha* Fund of his salary, allowances and other dues."

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं इसका विरोध करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष--जरा सी देर की आपने । अब तो मैं राय ले चुका ।

खंड ६

Term of Panchayti Adalat.

६---मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"45. (1) The term of office of every *Panch* shall be three years from the date of his election or if the State Government so declares by notification in the *Gazette*, such longer term, not exceeding five years, as may be specified.

(2) The declaration under sub-section (1) may be published at any time before the expiry of three years aforesaid or where the period has been extended, before the expiry of such extended period."

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

७---मूल अधिनियम की धारा ९५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा "95-A" के रूप में बढ़ा दिया जाय ।

"95-A. (1) If at any time it appears to the State Government hat a *Gaon Sahba* or a *Gaon Panchayat* has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any ther enactment, the State Government may by order in writing fix a period for the performance of that duty.

(2) If the duty is not performed within the period so fixed, the State Government may direct such authority as may be specified to perform it and may further direct that the expenses, f any, of performing the duty shall be paid from the **Gao sadha** Fund and thereupon the person having the custody of the fund shall pay the amount from such fund".

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव—सभा के फंड से अदायगी की जो बात हमारे सामने पेश की गई है और अभी माननीय मंत्री जी ने भवन के सामनें जो बयान दिया उसके सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि हम लोग इस बात के खिलाफ नहीं है कि गांव सभाओं के कोष से वहां के सेक्रेटरियों को तन्ख्वाह दी जाय। हमारा तो एक एतराज है और वह एतराज यह है कि अगर-आपने जैसा कहा कि कुछ गांव सभाओं के पास फंड है और वे अपनी खुशी से पैसा दे देती हैं कोई गांव सभा ऐसी है जो पैसा नहीं दे पाती है, तो आप यह कहते हैं कि उस गांव-सभा पर कुछ सख्ती करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने गांव सभाओं पर सख्ती इसलिये की कि वे अपने यहां फंड इकट्ठा करें और उस फंड से वे ग्राम-सभाओं के सेक्रेटरियों को वेतन दें तो मुझको इस बात का अन्देशा है कि वे गांव सभायें अपने सेक्रेटरियों को पैसा अदा करने के लिये ही नये नये टैक्सेज लगायेंगी, जिसका परिणाम यह होगा कि असन्तोष बढ़ेगा। गांवों की हालत ऐसी नहीं है कि नये नये टैक्सेज लोगों पर लगाये जायं। इस सम्बन्ध में केवल एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे माननीय मंत्री जी ने बार बार ऐक्ट की तरफ मेरा ध्यान दिला कर यह कहा कि ग्राम सभाओं को यह अधिकार है कि वे अपने टैक्स लगा सकतीं हैं और वसूल कर सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत अदब के साथ यह कहूंगा कि जरा भवन को आप यह भी बतलाने की कृपा कीजिये कि गांव सभाओं में जब यह मीटिंग बुलायी जाती है, क्या आपने उनके लिये कोई नियम बनाये हैं? क्या आपने कभी इस बात की जांच करने की कोशिश की कि कितनी ग्राम सभाओं की यह शिकायत है कि उनकी मीटिंग नहीं बुलायी गयी? उनको मालूम ही नहीं कि यह मीटिंग कब हुई और कब टैक्स लगाया गया।

मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जहां हमको यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि गांव सभाओं को यह अधिकार है कि वे अपने टैक्स लगायें वहां वास्तव में आज गांव सभाओं की ऐसी छीछालेदर हो रही है कि उनको पता ही नहीं कि मीटिंग कब बुलाई गई, कहां बुलाई गयी। वह तो वहां के अधिकारी लोग अपने घर में बैठ कर टैक्स लगा लेते हैं और बाद में स्टेट की मशीनरी के जोर से फंड इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यह ठीक है कि इस भवन ने ऐक्ट पास किया, मेरी राय उसमें रही। मैंने आज भी कहा कि यह ऐक्ट अच्छा है। लेकिन जो मैंने पहले बात कही उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि आज अगर आपने ग्राम सभाओं को मजबूर किया कि वह अपने फंड से सेक्रेटरियों की तनख्वाह दें और उनकी माली हालत अच्छी नहीं है तो परिणाम यह होगा कि या तो सेक्रेटरियों को तनख्वाह न मिलने के कारण वे सही ढंग से काम नहीं करेंगे या ग्राम सभाओं को मजबूर करके गलत ढंग से मीटिंग बुलाई जायंगी और वे नये-नये टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। यह चीज इतनी आसान नहीं है कि मंत्री जी यहां खड़े हो कर यह देख रहे हैं कि सारे सूबे में कानून अच्छी तरह लागू है, ग्राम सभाओं के पास फंड काफी है, केवल सेक्रेटरियों को तनख्वाह देते नहीं हैं इसलिये उन पर जरा सख्ती करदी जाय। मैं कहता हूं कि गांवों की हालत अच्छी नहीं है, ग्राम सभाओं में टैक्स नहीं वसूल हो रहे हैं। तो यह कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कोई संशोधन लाइये कि गांवों से जो कुछ पैसा वसूल होता हो उसका एक अंश कम से कम मौजूदा स्थिति के लिये उनके पास छोड़ दीजिये। और ग्राम सभाओं से यह कहिये कि तुम्हारे पास इतना रुपया छोड़ देते हैं उसमें से सेक्रेटरियों

[श्री राजाराम शास्त्री]

को तनख्वाह दो। अगर ग्राम सभाओं के फंड से वह तनख्वाह निकालने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं निकल पायगी। मुझे यह दुख है कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश किया, प्रत्येक दफा पर व्याख्यान दिया, फिर भी भवन को अन्धकार में रखा, यह नहीं मालूम हो सका कि सूबे में सेक्रेटरियों का कितने महीने का वेतन अभी बाकी है। अगर मंत्री जी भवन के सामने यह आंकड़े पेश करते तो हम और भी बहस कर सकते थे कि इतनी रकम गांव पंचायतों से वसूल हो सकती है या नहीं। अगर थोड़ी सी रकम है तो आसानी से वसूल हो सकती है और कोई झगड़े की बात नहीं होती लेकिन अगर ज्यादा रकम है और आप मजबूर करेंगे, सख्ती करेंगे तो मैं फिर कहता हूं कि आप अशान्ति पैदा कर देंगे।

मेरा अपना ख्याल है कि मौजूदा स्थिति में ग्राम सभायें इस योग्य नहीं हैं कि वह मंत्रियों की तनख्वाह दे सकें। आप उनको मजबूर न कीजिये और अगर आप सख्ती करेंगे तो अशान्ति होगी और सेक्रेटरियों को पैसा नहीं मिलेगा। मैं शुरू की हालत के लिये कहता हूं कि आप ऐसा न करें। जब ग्राम पंचायतें ठीक से चलने लगेंगी और वह अच्छी तरह से चलने लगेंगी तो वह खुद सेक्रेटरियों को पैसा दे सकेंगी, लेकिन मौजूदा हालत में उनको मजबूर न कीजिये। मैं यह कहता हूं कि देहातों में असंतोष है और जो सख्ती आप करने जा रहे हैं उससे बदअमनी पैदा होगी। जब यह मैं कहता हूं तो इसलिये नहीं कहता कि कोई चुनाव का भूत मेरे सिर पर सवार है और उसका गुबार निकालने की गर्ज से कह रहा हूं। मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि लोग गांवों में जा रहे हैं और वसूलयाबी हो रही है। मैंने एक हितैषी के नाते कह दिया, समझ में आ जाय तो मान लीजिये और अगर न मानिये तो कोई जिद की बात भी नहीं है। मैंने तो जनता के हित में जो बात थी उसको कह दी, अगर आपको बुरी लगी तो फिर आप जानें।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्टीकरण कर ही दिया कि इसमें टैक्स बढ़ाने का कोई सवाल नहीं। अब राजाराम शास्त्री जी कहते हैं कि जो पंचायतें अपना हिस्सा नहीं देतीं उनको लाचार किया जायगा सो लाचार करने का तो कोई अधिकार नहीं। अगर पंचायत के पास फंड है तो उसमें से लिया जायगा और अगर नहीं है तो कोई टैक्स लगाने या लाचार करने का अधिकार नहीं। मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"If the duty is not performed within the period so fixed, the State Government may direct such authority as may be specified to perform it and may further direct that the expenses, if any, of performing the duty shall be paid from the Gaon Sabha Fund and thereupon the person having the custody of the fund shall pay the amount from such found.

[यदि इस प्रकार निर्धारित समय के भीतर कर्त्तव्य पालन न किया गया तो राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को, जिसका कि उल्लेख किया गया हो, इस कार्य को करने का आदेश दे सकती है और यह भी आदेश दे सकती है कि उस कार्य को करने का व्यय, यदि कोई हो, गांव सभा फंड से दिया जायगा और तत्पश्चात् वह व्यक्ति जिसके संरक्षण में वह फंड है उस फंड से उस धनराशि का भुगतान करेगा।]

यानी फंड हो तब, और अगर फंड नहीं होगा तो उसमें से काटा नहीं जा सकता। अगर फंड होते हुए भी गांव सभा नहीं देती तो उसके फंड में से काटा जा सकता है। मैं समझता हूं कि राजाराम जी किसी गलतफहमी पर आक्षेप कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनका सुझाव यह है कि यह सब सिस्टम (प्रणाली) ही बदल देना चाहिये और गांव सभाओं पर भार नहीं डालना चाहिये बल्कि सरकार को देना चाहिये। यह सुझाव तभी हो सकता है जब हम इस सम्बन्ध में कोई मुकम्मिल सुधार भवन के सामने पेश करें। जब इस तरह का सुधार भवन के सामने आयेगा तो उसके ऊपर ग़ौर किया जायगा, उसके बारे में मैं यकीन दिला सकता हूं। लेकिन यह एक छोटा सा सुधार है कि जब

गांव सभा के पास फंड होते हुए भी वह नहीं देते हैं तो सिवाय इसके कि गांव सभा को रिप्लेस (प्रतिस्थापित) कर दें और कोई अधिकार नहीं है। वह सब कदम नहीं उठाया और सिर्फ उस फंड से रुपया दे दिया। हम इतना ही चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि राजाराम जी अपने विरोध को वापस ले लें और सदन इस सुधार को पास करे।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८---उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९५२, और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९५२ एतद् द्वारा निर्वातित (रिपील) किये जाते हैं और यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और धारा २४ के उपबन्ध उन पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे ऐसे अधिनियम (ऐक्ट) हों जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निर्वातित किये गये थे।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ)---

पक्ष में---६०

विपक्ष में---३

माननीय अध्यक्ष---प्रस्तावना पर राय लेने के पहले मैं यह बात कहे बग़ैर रह नहीं सकता कि इस आदरणीय सदन की मर्यादा कायम रखने के लिये हर चीज़ पर विचार करके राय देना मैं समझता हूं हर एक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है। खंड ८ में चीज़ यह है कि आर्डिनेंस इस बिल के पास होने पर खत्म होंगे। जहां तक मैं समझता हूं किसी माननीय सदस्य ने इस विषय पर कोई तक़रीर नहीं की कि वह आर्डिनेंसेज खत्म न हों और जिस चीज़ पर कोई तक़रीर न की जाय उस पर डिवीज़न चैलेंज करना कोई अच्छी बात नहीं मालूम होती। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जरूर इस पर विचार करेंगे।

प्रस्तावना और खण्ड १

यह आवश्यक है कि यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ ई० को इसमें आगे दिये प्रयोजनों के निमित्त फिर से संशोधित किया जाय ;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१---(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह ७ फरवरी, १९५२ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ और प्रस्तावना इस विधेयक का अंश बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष---मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तृतीय वाचन पर कुछ कहना है तो हम इस समय उठ जायं और एक घंटे के बाद जब हम बैठें तब आगे बढ़ें।

श्री राजाराम शास्त्री---सिर्फ एक बात की ओर ध्यान दिलाना है। यह बिल आज पास हो गया। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि अगर सारी बहस का नतीजा एक ही निकल आये तो हाउस को बहुत फ़ायदा हो सकता है।

[श्री राजाराम शास्त्री]

मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि आइन्दा जिस दिन असेम्बली में विधेयक पर बहस होने वाली हो वह कम से कम मेम्बरान को एक दिन पहले मालूम हो जाय तो सदन को बहुत कुछ फायदा हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष--मैं इसके मुताल्लिक अर्ज कर दूं कि हमारे यहां नियम बन गये हैं। हर सप्ताह में पहले दिन जब असेम्बली की बैठक होगी उस दिन उस सप्ताह का कार्यक्रम गवर्नमेंट बता देगी। मगर अब तक जो बैठे हैं माननीय सदस्य देखेंगे कि इस सप्ताह में पहले ही दिन आज बैठे हैं। इसलिए अब अगले दिन जब सोमवार को बैठेंगे उस वक्त पूरे हफ्ते का कार्यक्रम माननीय नेता सदन को रखना होगा और इस प्रकार उसकी पूरी इत्तिला सभी माननीय सदस्यों को हो जाया करेगी। यह हमारा अब नियम बन गया है उसका पालन हुआ ही करेगा।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, सन् १९५२ ई० पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

इस विधेयक पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो उद्देश्य और कारण इस बिल के साथ में छापे गये हैं उनको पढ़ने से यह पता तो चल ही जाता है कि किन कारणों से यह विधेयक इस भवन में फिर उपस्थित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक १९५० ई० की अवधि ३१ जनवरी, सन् १९५२ ई० को समाप्त हो गई थी। उस समय असेम्बली की बैठक होने वाली नहीं थी। इस कारण से गवर्नर महोदय ने इस ऐक्ट की अवधि को बढ़ाने के लिये एक आर्डिनेंस जारी किया जो आज विधेयक के रूप में भवन के सामने उपस्थित है। आज के जमाने में जब कि हम आधुनिक ढंग पर इलाज कराते हैं, औषधियां कितनी आवश्यक हैं और इनकी क़ीमत बढ़ जाने पर लोगों को कितनी तक़लीफ होती है, इसके ऊपर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। आज भी समय समय पर औषधियों की कीमत बढ़ जाती है अतः उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिये केन्द्रीय सरकार की सलाह से यह ऐक्ट बनाया गया था और आज भी सरकार महसूस करती है कि ऐसे ऐक्ट हमारे बीच में कानून के रूप में रहना चाहिये। इसी कारणवश यह विधेयक इस भवन में विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २

मूल अधिनियम का प्रचलित रहना।

२—उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५२" के स्थान पर संख्या "१९५३" रखी जायगी।

अधिष्ठाता—इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है। इसलिए खंड २ उपस्थित किया जाता है।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का भाग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की अवधि सीमित है और उसे उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (अधिकारों को जारी रखने) (संशोधन) का अध्यादेश, १९५२ ई० द्वारा प्रचलित रखा गया है,

और उक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छः सप्ताह के बाद समाप्त हो जायगा,

और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३१ जनवरी, १९५३ ई० तक प्रचलित रखने के लिए व्यवस्था की जाय,

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ इस विधेयक का अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई० को पारित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) विधेयक, १९५२ ई० को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर (न्याय मंत्री)—मैं तजवीज़ करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

[माननीय श्री सैयद अली ज़हीर]

मुझे इस विषय पर कुछ ज्यादा नहीं कहना है। जो बिल पहले था उसकी रू से अगर कोई कौंसिल का मेम्बर है और फिर वह असेम्बली का मेम्बर मुंतख़िब हो गया तो वह कौंसिल का मेम्बर नहीं रह सकता था। पुराने ऐक्ट की रू से एक मेम्बर दोनों हाउसेज़ (सदनों) में काम नहीं कर सकता था, इसलिये यह जरूरी हुआ कि इस तरह का एक आर्डिनेंस पास किया जाय जब तक पहला सेशन असेम्बली का न हो उस वक्त तक जो कौंसिल का मेम्बर है वह कौंसिल का मेम्बर रहेगा और असेम्बली का भी मेम्बर रहेगा। चुनांचे इस आर्डिनेंस को कानून की शक्ल में इस हाउस के सामने पेश किया जा रहा है और मेरे ख्याल में इससे किसी को कोई एतराज न होगा। लिहाज़ा मैं तजवीज़ करता हूं कि इस ऐक्ट पर गौर किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खण्ड १—३

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५०।

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक अधिनियम, १९५० ई० के उपबन्धों की अनुपूर्ति की जाय।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह २६ जनवरी, १९५२ ई० से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

यू० पी० ऐक्ट २२, १९५० का संशोधन

२—संविधान के अनुच्छेद ३८२ में यह व्यवस्था की गयी है कि जब तक उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदन संविधान क उपबंधों के अधीन उचित रूप से संघटित न हो जायं तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होन के लिए आहूत न हो जायं, तब तक अस्थायी विधान मंडल के सदन प्रथमोक्त सदनों के अधिकारों का प्रयोग तथा उनकेकर्त्तव्यों का पालन करेंगे, इसलिए ऐसे व्यक्ति के विषय में, जो अस्थायी विधान परिषद् का पहले से सदस्य हो और उक्त परिषद् में आपना स्थान ग्रहण कर चुका हो और बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित किया जाय, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक अधिनियम, १९५० ई०, की धारा ४ इस प्रकार प्रभावशाली होगी, मानो कि शब्द "इस घोषणा के प्रकाशित होने पर कि वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया है" के स्थान पर शब्द "प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिए उक्त सभा के आहूत होने पर" रख दिये गये थे।

निवर्तन। यू० पी० ऐक्ट १, १९०४।

३—उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निषेधक (अनुपूरक) अध्यादेश, १९५२ ई० एतद् द्वारा निवर्तित किया जाता है और यू० पी० जनेरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १९०४ की धारा ६

तथा २४ के उपबन्ध उसे उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह एक एसा विधायन (ऐक्ट) था, जो किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निर्वर्तित किया गया हो ।

अधिष्ठाता—इस विधेयक पर कोई संशोधन नहीं है । इसलिये इस विधेयक को एकदम लिया जाता है।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १—३ विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० को पास किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता के निषेधक (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० को पास किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का विधेयक, १९५१ ई०

माननीय श्री हुकुम सिंह—श्रीमान् की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्यमिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० पर विचार किया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे चन्द शब्द कहने हैं। तजुर्बे से पता चला है कि सैलाब के जमाने में अक्सर ऐसे मौक़े आये हैं कि जहां पर सैलाब के ख़तरे बहुत ज्यादा दिखाई पड़े और जब वहां रहने वालों से सरकारी और ग़ैर-सरकारी तौर से कहा गया कि वह खाली कर दें तो खाली करने में उनको ताम्मुल हुआ और उससे ख़तरात बढ़े । इसके साथ किश्तियों के जमा करने में भी दिक्कतें सामने आईं और जो लोग सैलाबी इलाके से दूसरी जगह ले जाये गये तो वहां उनकी रिहायश के लिये, मकानात वग़ैरह का इन्तजाम करने की भी दिक्कतें सामने आईं । यह मसला सिलेक्ट कमेटी के सामने भी पेश था। कमेटी ने जो सिफारिशात कीं उनको गवर्नमेंट ने मंजूर किया। इसलिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें सैलाबी इलाके को खाली कराने, किश्तियों, को जमा करने के लिये और ऐसे मकानात जिनमें कि ऐसे लोगों को पनाह दी जा सके, यह सब प्राविजन्स इसमें रखे गये हैं। मुझे आशा है कि यह सदन इस बिल पर विचार करेगा और विचार करके इसे मंजूर करेगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १—१६

नावों को अधिगृहीत करने और ऐसे क्षेत्रों को जिनमें बाढ़ आने का भय हो या जिन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा हो, खाली कराने के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है;

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) का अधिनियम, १९५१ ई० होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

परिभाषा।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर—

(क) "नाव" के अन्तर्गत "स्टीमर" भी है।

(ख) "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत परगनाधीश मजिस्ट्रेट (sub-divisional magistrate) और तहसीलदार भी हैं।

(ग) "स्वामी" के अन्तर्गत भुक्तिमान् बंधकी या गिरवीदार (pledgee or pawnee in possession) भी हैं और यदि वह व्यक्ति जिसकी भुक्ति (possession) में नाव हो अवयस्क है तो स्वामी के अन्तर्गत उक्त अवयस्क (minor) का अधिरक्षक (guardian) भी है, और

(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

क्षेत्रों को खाली कराना।

३—(१) बाढ़ के कारण आई हुई या सम्भावित विपत्ति (danger) से जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के प्रयोजन से यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह आज्ञा द्वारा उन अपवादों (exemption) के अधीन जो सामान्य आज्ञा या विशेष अनुज्ञा (permission) से किए गए हों, उक्त आज्ञायें निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों या उनके वर्ग विशेष के विषय में यह आदेश दे सकता है कि वे उस क्षेत्र से कहीं और या उसके किसी निर्दिष्ट भाग में या तो स्वयं हट जायं या हटा दिए जायं; और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे अन्य कार्य भी करने का अधिकार होगा जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(२) व्यक्तियों को हटाने के लिए उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा में निम्निलिखित बातों का उल्लेख हो सकता है—

(क) वह या वे मार्ग जिससे या जिनसे सब व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग विशेष को निर्दिष्ट क्षेत्र से अपने आपको हटाना है या हटाया जाना है;

(ख) वह या वे समय जिनके भीतर निर्दिष्ट क्षेत्र से वे हटेंगे या हटाये जायंगे;

(ग) वह या वे स्थान जिन पर निर्दिष्ट क्षेत्र से हटने या हटाये जाने पर उन्हें जाना या ले जाया जाना है;

और यदि उक्त आज्ञा के प्रयोजनों के लिये कोई अन्य आनुषंगिक या पूरक (incidental or supplementary) निदेश आवश्यक या उचित प्रतीत हों तो उसमें उनका भी समावेश हो सकता है।

४—उन व्यक्तियों के लिए, जो धारा ३ के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार अपने मकानों को छोड़ चुके हों या उससे हटा दिए गए हों, निवास स्थान की व्यवस्था करने के निमित्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निम्नलिखित को छोड़ कर किसी भी भू गृहादि पर अधिकार (possession) कर सकता है।

उन व्यक्तियों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था जिनसे कोई घर खाली कराया गया हो।

(क) धार्मिक पूजा के निमित्त उपयोग में आने वाले भू गृहादि (premises) ; तथा

((ख) कोई निजी निवासगृह जो निजी निवास गृह के रूप में उपयोग में आता हो।

५—(१) यदि किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियोंके जीवन नावों का अधिग्रहण और सम्पत्ति पर बाढ़ के कारण आई हुई या सम्भावित विपत्ति का सामना करने या उसका निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखित आज्ञा द्वारा जिस नाव को चाहे अधिगृहीत (requisition) का सकता है और इसके अतिरिक्त ऐसी अन्य आज्ञा भी दे सकता है जो अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो।

(२) उक्त आज्ञा की एक प्रति नाव के स्वामी के ऊपर तामील की जायगी और यदि स्वामी का शीघ्र पता न चल सके या नाव का स्वामित्व विवाद का विषय हो तो जहां नाव हो उसके आस पास किसी प्रमुख स्थान पर चिपका दी जायगी।

(३) यदि उपधारा (२) में दी गई रीति के अनुसार आज्ञा की तामील हो जाने पर नाव का स्वामी नाव कोउल्लिखित अधिकारी के अधिकार में न दे तो उक्त नाव उस समय जिस व्यक्ति के अधिकार में हो, उससे उक्त अधिकारी उसे छीन ले सकता है।

(४) अधिगृहीत नाव को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस प्रकार उचित समझे काम में ला सकता है या उसके विषय में जो उचित जान पड़े कर सकता है।

६—(१) यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा ४ के अधीन किसी भूगृहादि को अपने अधिकार में ले लेता है अथवा धारा ५ के अधीन किसी नाव को अधिगृहीत कर लेता है तो इमारत या नावके स्वामी को, यथा स्थिति ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी मात्रा नीचे लिखी रीति और सिद्धान्त के अनुसार अवधारित की जायगी :

गृहादि के लिये प्रतिकर।

(क) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करके प्रतिकर की मात्रा अवधारित करेगा :

(१) इमारत के सम्बन्ध में आस-पास की समान इमारतों के लिये देय किराया, और

(२) नाव के सम्बन्ध में उक्त प्रकार की नावों के भाड़े की प्रचलित दर,

(३) ऐसी क्षति (damage) जो अधिग्रहण के समय भूगृहादि या नाव को हुई हो, और

(४) कोई वास्तविक परिस्थिति (material circumstances) जिसे स्वामी प्रमाणित करे ।

(ख) उक्त प्रकार से अवधारित प्रतिकर की मात्रा स्वामी को प्रस्तुत की जायगी और यदि वह लेना स्वीकार करे तो उसे दे दी जायगी ।

(ग) यदि स्वामी उक्त मात्रा को स्वीकार न करे तो यह प्रश्न अधिकार प्राप्त सिविल जज को अभिदिष्ट (refer) किया जायगा । सिविल जज उपर्युक्त खंड (क) में लिखित बातों पर विचार करते हुए प्रतिकर की मात्रा को अवधारित करेगा ।

(घ) सिविल जज का निर्णय अन्तिम होगा । उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी ।

(२) उस दशा को छोड़ कर जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी बात से विरोध होता हो, सिविल जज के समक्ष इस अधिनियम के अधीन होने वाली सब कार्यवाहियों में कोड आफ सिविल प्रोसीजर १९०८ ई० के निदेश लागू होंगे ।

नावों के स्वामी को आदेश देने के अधिकार ।

७--बाढ़ आत्ययिक समय के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो किसी नाव का स्वामी हो या हों या एसे को या ऐसों को जो अपने अधिकार (possession) में या अपने नियंत्रण (control) में नाव रखता हो या रखते हों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा ५ के निदशों पर विपरीत प्रभाव न डालते हुए यह आदेश दे सकता है कि उक्त व्यक्ति उन आदेशों का पालन करेगा या करेंगे जो वह उसे या उन्हें लेख में दे ।

प्रवेश और निरीक्षण ।

८--डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई व्यक्ति इस बात के निश्चय के लिए कि कोई भ गृहादि या नाव उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं और धारा ४ या ५ के अधीन यथास्थिति अधिगृहीत किया या की जाय या नहीं, उक्त भूगृहादि या नाव में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है ।

सूचना तथा हटाने के सम्बन्ध में आज्ञा ।

९--किसी भूगृहादि या नाव को अधिगृहीत करने अथवा धारा ६ के अधीन दिए गए प्रतिकर को अवधारित करने के विचार से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आज्ञा द्वारा :

(क) किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त भू गृहादि या नाव के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, जो उसे ज्ञात हो, और जो निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अधिकारी को दे जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय ।

(ख) यह आदेश दे सकता है कि नाव का स्वामी या उस पर अधिकार (possession) रखने वाला कोई व्यक्ति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना किसी भू गृहादि

या स्थान से, जहां पर नाव रक्खी हो, आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक उसे निरस्तरित (dispose) नहीं करेगा अथवा उसको कहीं नहीं हटायेगा।

नाव के अंगों को हटाने की रोक।

१०—किसी नाव का स्वामी या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकार (possession) में वह हो, धारा ५ के अधीन आज्ञा की तामील होने पर, नाव के किसी अंश या अन्य उपसाधन (accessory) को इस प्रकार नहीं हटायेगा और न नाव में इस प्रकार की कोई क्षति पहुंचायेगा जिससे कि नाव की उपयोगिता में कमी आवे :

अधिगहण से मुक्ति।

११—(१) कोई भू गृहादि जिस पर धारा ४ के अधीन अधिकार (possession) किया गया है, स्वामी को या उस व्यक्ति को जिससे अधिकार लिया गया था, निम्नलिखित स्थिति में लौटा दिया जायगा।

(क) यदि धारा ४ में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग न किया गया हो, तो अधिकार लेने के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर;

(ख) यदि उसका इस प्रकार उपयोग किया गया हो तो उक्त दिनांक से बारह मास की समाप्ति पर ।

(२) धारा ५ के अधीन अधिगृहीत नाव, उसके स्वामी या ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जिससे अधिकार लिया गया हो, अधिकार लेने के दिनांक से तीन मास की समाप्ति से पूर्व अधिग्रहण से मुक्त कर दी जायगी।

(३) यदि कोई भू गृहादि उपधारा (१) के अधीन अधिग्रहण स मुक्त कर दिया गया हो या कर दिया जाने वाला हो, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो समस्त उक्त भू गृहादि या उसके किसी भाग में अधिवास करता हो यह आदेश दे सकता है कि निर्दिष्ट समय के भीतर उसे खाली कर दे और यदि उक्त व्यक्ति उक्त सूचना का अनुपालन न करे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उक्त भू गृहादि से उसे निकाल (evict) सकता है और उक्त आज्ञा को कार्यान्वित करन के लिए ऐसा बल प्रयोगकर सकता है जो आवश्यक हो।

(४) उपधारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, नाव या भू गृहादि पर अधिकार (possession) और उसके लिये प्रतिकर देने पर, न्याययुक्त अधिकार रखनेवाले (having rightful claim) व्यक्ति को उक्त नाव या भू गृहादि पर अधिकार (possession) देने और उसके लिये प्रतिकर देनेके दायित्व से राज्य सरकार पूर्णतया मुक्त हो जायगी। किन्तु इसका कोई विपरीति प्रभाव उक्त नाव या भू-गृहादि या प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार (possession) पर न होगा जो विधि के उचित प्रसार (due process of law) द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे अधिकार (possession) दिया गया हो, प्रयोग में लाने का अधिकारी (entitled) हो।

वाद और अभियोग से बचाव।

१२---कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार (suit prosecution or legal proceeding) किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए न हो सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किया गया हो या जिसे उक्त प्रकार करने का उद्देश्य हो।

प्रशस्ति।

१३---यदि कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धारा ४ या ५ के अधीन किसी भू गृहादि या नाव पर अधिकार (possession) न दे या उक्त भू गृहादि या नाव पर अधिकार लेने में विलम्ब करे या बाधा डाले अथवा इस अधिनियम के किसी निदेश या उसके अधीन दी गई किसी आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसे ऐसे कारावास का दंड जो एक महीने तक का हो सकता है, या अर्थ दंड जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है दिया जा सकता है, या दोनों दिए जा सकते हैं।

गिरफ्तारी का अधिकार।

१४---कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो बिना वारन्ट किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके विषय में उचित प्रकार से यह सन्देह करने के कारण हों कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है।

अपवाद।

१५---(१) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग में दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

(२) यदि किसी आज्ञा के विषय में ऐसा अभिप्रेत प्रतीत हो (purports) कि उक्त आज्ञा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मिले अधिकार के प्रयोग में किसी अधिकारी द्वारा दी गई है अथवा उस पर अधिकारी ने हस्ताक्षर किया है तो उसके सम्बन्ध में इंडियन एविडन्स ऐक्ट, १८७२, के अर्थ में यह परिकल्पना की जायगी (shall be presumed) कि वह आज्ञा उस अधिकारी ने इस प्रकार दी थी।

नियम बनाने का अधिकार।

१६---इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

अध्यक्ष---इस पर किसी संशोधन की सूचना नहीं है इसलिये एक साथ ही प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर खंड १६ तक, प्रस्तावना तथा खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री हुकुम सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० को पास किया जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन २ बज कर ४५ मिनट पर सोमवार, १७ मार्च, १९५२ ई० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१४ मार्च, १९५२ ई०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५ पर)

(१)	श्री रिजवानुल हक़	६–३–५१ से १–६–५१ तक।
(२)	श्री कृष्णौतार	१–४–५१ से १६–६–५१ तक।
(३)	श्री कुन्दन लाल	१४–५–५१ से १३–८–५१ तक।
(४)	श्री राजेश्वर दयाल	१–५–५१ से ३१–५–५१ तक।
(५)	श्री राम बहादुर	४–५–५१ से ८–६–५१ तक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

PSUP A.P. 37 L.A.—1952—660.

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे से बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत) ..	१९४–१९५
अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८३—पेन्शनों की संराशि का भुगतान (स्वीकृत)	१९५
अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८५–क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी-लागत (स्वीकृत)	१९५
अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक-द—राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत)	१९५
१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय पूरक) विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) (पारित)	१९५–२०२
आगामी दिवस के लिये कार्य-क्रम	२०३
नत्थी	२०४–२०७

उत्तर प्रदेश विधान सभा